



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 भाद्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 699) पटना, सोमवार, 29 अगस्त 2016

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

29 अगस्त 2016

सं0 एल0जी0-01-16/2016/169 लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 26 अगस्त, 2016 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016

[बिहार अधिनियम 15, 2016]

बिहार राज्य में पशु विज्ञान, पशुपालन, गव्य तकनीकी, मत्स्य एवं सहबद्ध विज्ञानों के विकास के लिए एक विश्वविद्यालय को स्थापित करने और निगमित करने हेतु अधिनियम।

भारत-गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

अध्याय-।

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।—(1) यह अधिनियम "बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम", 2016 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत किया जाय।

2. परिभाषाएँ।—इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए सभी परिनियमों और विनियमों में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (1) "विद्वत्" (अकादमिक) परिषद्" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का विद्वत् परिषद्;
- (2) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, "2016";
- (3) "पशु" से अभिप्रेत है पशुधन, कुक्कुट, बकरी व अन्य पक्षी, मत्स्य एवं वन्य प्राणी;
- (4) "पशु विज्ञान" से अभिप्रेत है पशुधन, कुक्कुट, गव्य, मात्स्यकी, वन्य प्राणी, मुर्गीपालन और उनसे संबद्ध क्षेत्र का पशुचिकित्सा विज्ञान;
- (5) "सह निदेशक" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के मुख्यालय में अथवा उसके जोनल/ क्षेत्रीय स्टेशन में पदस्थापित सह निदेशक शोध एवं प्रसार "शिक्षा" ;
- (6) "प्राधिकार" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकार ;
- (7) "बोर्ड" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का प्रबंधन-बोर्ड ;
- (8) "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के सीधे नियंत्रण एवं प्रबंधन के अधीन अंगीभूत महाविद्यालय जो मुख्यालय परिसर में या कहीं और अवस्थित हो ;
- (9) "कुलाधिपति" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का कुलाधिपति;
- (10) "वित्त नियंत्रक" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय का वित्त नियंत्रक ;
- (11) "प्रधानाचार्य" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय का प्रधान और जहाँ प्रधानाचार्य नहीं हो, वहाँ तत्समय प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने हेतु सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति और यथास्थिति, प्रधानाचार्य या कार्यकारी प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति में, इस रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त उप-प्रधानाचार्य ;
- (12) "संकाय के अध्यक्ष" (फैकल्टी के डीन) से अभिप्रेत है, किसी विषय-वस्तु संकाय और स्नातकोत्तर शिक्षा के संकाय का अध्यक्ष ;
- (13) "निदेशक" से अभिप्रेत है निदेशक रेजिडेंट शिक्षण और इसमें निदेशक, शोध व निदेशक प्रसार शिक्षा शामिल हैं ;
- (14) "शिक्षा प्रसार परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का शिक्षा प्रसार परिषद् ;
- (15) "संकाय" से अभिप्रेत है, अधिनियम और परिनियमों में यथाविनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का संकाय ;
- (16) "फार्म" से अभिप्रेत है, चारा फार्म सहित पशुधन, कुक्कुट, गव्य, मत्स्य उद्योगफार्म;
- (17) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार-सरकार ;
- (18) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है बिहार राज्य का राज्यपाल ;
- (19) "प्रधान" से अभिप्रेत है, विश्वविद्यालय के विभाग का प्रधान ;
- (20) "छात्रावास" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए वास स्थान जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रबंधित हो या निजी प्रबंधन के रूप में विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हो ;
- (21) "पशुधन" से अभिप्रेत है पशु, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़ा, "सूअर" एवं अन्य पालतू जानवर ;
- (22) "पदाधिकारी" से अभिप्रेत है इस अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय का कोई पदाधिकारी या परिनियम में पदाधिकारी के रूप में घोषित विश्वविद्यालय के नियोजन में अन्य व्यक्ति ;
- (23) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्त विश्वविद्यालय का अध्यादेश ;
- (24) "विहित" से अभिप्रेत है, अधिनियम/अथवा विश्वविद्यालय के परिनियम/विनियम के अधीन विहित ;
- (25) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार (कुलसचिव) ;
- (26) "विनियम" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम ;
- (27) "शोध परिषद्" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय की शोध परिषद् ;
- (28) "परिनियम" से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाया गया परिनियम ;
- (29) "छात्र" से अभिप्रेत है, डिग्री, डिप्लोमा अथवा सम्यक् रूप से संस्थित अन्य शैक्षिक उपाधि के पाठ्यक्रम में भाग लेने हेतु विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालय/संकाय में नामांकित व्यक्ति ;

- (30) "शिक्षक" से अभिप्रेत है शिक्षा प्रदान करने अथवा शोध अथवा विस्तार शिक्षा कार्यक्रमों को संचालित करने और मार्गदर्शित करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अथवा मान्यता प्राप्त सहायक प्राध्यापक से अन्यून पंक्ति का कोई व्यक्ति और इसमें ऐसा कोई अन्य व्यक्ति शामिल हो सकेगा जिसे परिनियम द्वारा न्यूनतम विहित अर्हता के साथ शिक्षक होने के लिए घोषित किया जाय।
- (31) "विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन यथागठित बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ;
- (32) "कुलपति" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का कुलपति ;
- (33) "पशु चिकित्सा" से अभिप्रेत है पशु स्वास्थ्य, उपचार व पशु रोगों की रोकथाम से संबंधित कला एवं विज्ञान ;
- (34) "क्षेत्रीय स्टेशन" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय स्टेशन ;
- (35) "जोनल स्टेशन" से अभिप्रेत है विश्वविद्यालय का जोनल स्टेशन ;

अध्याय II

विश्वविद्यालय

3. विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन।—(1)(i) बिहार राज्य के लिए बिहार में बिहार पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नामक एक विश्वविद्यालय, उस तिथि के प्रभाव से स्थापित किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, अधिसूचित किया जाय।

(ii) सभी महाविद्यालय, शोध और प्रायोगिक केन्द्र, पशु विज्ञान केन्द्र अथवा "परिशिष्ट-I" में उल्लिखित अन्य संस्थाएँ, इसके पदाधिकारियों और प्राधिकारों के पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन, इसकी अंगीभूत इकाईयाँ होंगी और ऐसी किसी इकाई को सम्बद्ध इकाई के रूप में मान्यता प्रदान नहीं की जायेगी। राज्य सरकार को परिशिष्ट-I में किसी संस्था को जोड़ने अथवा हटाने की शक्ति होगी।

(2) यह विश्वविद्यालय कुलाधिपति, कुलपति, प्रबंधन बोर्ड, विद्वत परिषद् और इस अधिनियम यथोपबंधित अथवा परिनियमों में यथाउपबंधित अन्य प्राधिकारों और पदाधिकारियों तथा संघटक निकायों से मिलकर बनेगा।

(3) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर रखनेवाला एक निगमित निकाय होगा और यह उक्त नाम से वाद चलाएगा और इस पर वाद चलाया जाएगा।

(4) विश्वविद्यालय चल और अचल दोनों संपत्ति अर्जित करने तथा धारित करने, कोई चल और अचल संपत्ति, जो विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ उसमें निहित हो गई हो और उसके द्वारा अर्जित की जा चुकी हो, को पट्टा पर देने, बिक्री करने अन्यथा अंतरित करने और केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी निगमित निकाय से अनुदान लेने, धन उधार लेने और संविदा करने तथा इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ अन्य सभी आवश्यक कार्य करने के लिए सक्षम होगा:

परन्तु, विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना राज्य सरकार द्वारा उसे अंतरित की गई किसी अचल संपत्ति को न तो पट्टे पर देगा, न बिक्री करेगा अथवा न अन्यथा हस्तान्तरित करेगा।

(5) विश्वविद्यालय का मुख्यालय पटना, बिहार में होगा।

4. क्षेत्रीय अधिकारिता।—(1) पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान से संबंधित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण शोध एवं प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम तथा इस अधिनियम में यथा परिभाषित इससे संबंधित अन्य क्षेत्रों में शोध तथा विस्तारित शिक्षा के संबंध में विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय अधिकारिता और जिम्मेदारी का विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(2) विश्वविद्यालय राज्य भर में आवश्यकतानुसार पशु चिकित्सा विज्ञान, पशुपालन, मत्स्यक्षेत्र, गव्य प्रौद्योगिकी एवं मुर्गीपालन जैसे क्षेत्रों और सहबद्ध विषयों के शिक्षण केन्द्रों, अनुसंधान स्टेशनों, प्रायोगिकी केन्द्र, प्रसार एवं प्रशिक्षण केन्द्र तथा सहबद्ध विषयों के लिए केन्द्र स्थापित चालू, संधारित और विकसित कर सकेगा तथा उनका प्रबंधन, विकास एवं संचालन की जिम्मेदारी विश्वविद्यालय पर होगी।

(3) विश्वविद्यालय की अधिकारिता और प्राधिकार के अधीन आनेवाले सभी महाविद्यालय, शोध और अनुसंधान केन्द्र और अन्य संस्थाएँ विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों और प्राधिकारों के पूर्ण प्रबंधन और नियंत्रण के अधीन विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाईयों के रूप में होगी। किसी इकाई को सम्बद्ध इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।

(4) यह विश्वविद्यालय शिक्षण एवं शोध कार्यक्रमों अथवा अन्य विश्वविद्यालयों, विदेशी विश्वविद्यालय सहित अथवा ख्याति प्राप्त एवं अनुमोदित संस्थानों के साथ बहु ज्ञानानुशासनिक दृष्टिकोण अपना कर कार्य कर सकेगा।

5. विश्वविद्यालय के उद्देश्य।—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे :-

(i) पशु चिकित्सा विज्ञान, पशुपालन, मत्स्यक्षेत्र, गव्य प्रौद्योगिकी, मुर्गीपालन तथा ज्ञान एवं स्कॉलरशिप की अन्य सहबद्ध शाखाओं में शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करना;

(ii) विशेषकर पशु चिकित्साविज्ञान एवं पशुपालन एवं अन्य सहबद्ध शाखाओं में ज्ञान की अभिवृद्धि करना तथा शोध का संचालन;

(iii) राज्य की ग्रामीण जनता के लिये प्रासंगिक विज्ञानों एवं "प्रौद्योगिकियों" की एवं शिक्षा-विस्तार का कार्य करना;

(iv) शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों में गुणात्मक सुधार की सुविधा देना एवं सुनिश्चित करना;

(v) पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समसामयिक तथा अग्रिम क्षेत्रों में गुणात्मक सुधार की सुविधा देना तथा सुनिश्चित करना;

(vi) आजीवन सीखने की संगठित प्रक्रिया की आवश्यकता की सुविधा देना;

(vii) विश्वविद्यालयों, इसके महाविद्यालय तथा संस्थाओं से उत्पन्न ज्ञान और निष्कर्षों को प्रसारित करना;

(viii) पशु विज्ञान, पशु प्रौद्योगिकी तथा कृषि विनिर्माण के क्षेत्र में कार्य करने वाले उद्योगों एवं अन्य अस्तित्वों के साथ भागीदारी स्थापित करना;

(ix) विश्वविद्यालय का चिकित्सा एवं शोध कार्य के लिए पशु चिकित्सालय स्थापित करना;

(x) ऐसे अन्य प्रयोजन, जो विश्वविद्यालय या राज्य सरकार, समय-समय पर अवधारित करे।

6. विश्वविद्यालय में प्रवेश (नामांकन) —(1) विश्वविद्यालय, इस अधिनियम तथा परिनियम के प्रावधानों के अधीन, राज्य के सभी व्यक्तियों के लिए, चाहे उनकी जाति, प्रजाति, पंथ, या वर्ग जो भी हो, खुला रहेगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा नहीं करेगी कि वह किसी भी व्यक्ति को किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश कराये जो प्रवेश के लिए विहित अकादमिक / स्तर नहीं रखता हो अथवा वैसे व्यक्तियों को विश्वविद्यालय में नामांकित रखे जिनका अकादमिक वृत्त डिग्री हासिल करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम स्तर से कम हो और जिनका व्यक्तिगत आचरण विश्वविद्यालय के प्रयोजन अथवा अन्य विद्यार्थियों और कर्मियों के उपयुक्त अधिकारों और विशेषाधिकारों के विरुद्ध हो:

परन्तु और कि इस धारा के अधीन विश्वविद्यालय से यह अपेक्षा नहीं की जा सकेगी कि वह किसी पाठ्यक्रम में उस संख्या से ज्यादा संख्या में छात्रों का प्रवेश ले जितना विश्वविद्यालय के उपलब्ध संकायों अथवा किसी खास महाविद्यालय अथवा विभाग में विद्वत् परिषद् द्वारा निर्धारित संख्या में समायोजन सम्भव 'न' हो।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन, विश्वविद्यालय के द्वारा राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य वर्गों के लिए स्थान आरक्षित रखा जा सकेगा, "बशर्ते" ऐसा व्यक्ति उस कोटि के लिए विहित अर्हताएँ एवं स्तर रखता हो।

7. विश्वविद्यालय की शक्तियाँ और कृत्य — विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ और कृत्य होंगे :-

- (i) पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अन्य सहबद्ध विषयों, जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे, में स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षण का प्रावधान करना;
- (ii) पशु चिकित्सा, पशु विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और इसकी सहबद्ध शाखाओं में शोध करने का प्रावधान करना;
- (iii) विस्तार शिक्षा कार्यक्रम द्वारा शोध के निष्कर्षों तथा तकनीकी जानकारी के प्रसारण का प्रावधान करना;
- (iv) पाठ्यक्रम संस्थित करना तथा परीक्षाओं का आयोजन करना और उन व्यक्तियों को डिग्री, डिप्लोमा तथा अन्य अकादमिक विशिष्टताएँ प्रदान करना जिन्होंने विहित पाठ्यक्रम या शोध या दोनों में अध्ययन किया हो, इस निमित्त अन्य विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थानों में आंशिक पाठ्यक्रम या शोध सहित ;
- (v) यथाविहित मानद डिग्री तथा अन्य विशिष्टताएँ प्रदान करना और किसी अच्छे एवं उपयुक्त कारण से इस तरह की डिग्री एवं शैक्षणिक उपाधि वापस लेना;
- (vi) क्षेत्रीय कर्मियों, ग्रामीण जनप्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों, जो नियमित छात्र के रूप में नामांकित नहीं हैं, के प्रशिक्षण का प्रावधान करना;
- (vii) "धारा 4 की" उप धारा (4) में दी गई सीमाओं के अधीन रहते हुए अन्य विश्वविद्यालयों एवं संस्थानों के साथ कार्य करना;
- (viii) पशु चिकित्सा विज्ञान, पशुपालनमात्स्यिकी, गव्य तकनीकी, मुर्गीपालन तथा अन्य सहबद्ध विज्ञानों से संबंधित महाविद्यालयों, संकायों, केन्द्रों तथा विभागों को स्थापित करना तथा उनका संधारण करना;
- (ix) शिक्षण, शोध तथा प्रसार शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं, पशु चिकित्सा क्लीनिकों, कृषि क्षेत्रों पुस्तकालयों, शोध केन्द्रों, व संस्थानों तथा संग्रहालयों की स्थापना एवं उनका संधारण करना;
- (x) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से शिक्षण, शोध एवं शिक्षा-विस्तार के पदों का सृजन करना और ऐसे पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करना;
- (xi) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्रशासनिक और अन्य पदों का सृजन करना तथा ऐसे पदों पर सक्षम व्यक्तियों की नियुक्ति करना;
- (xii) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिका एवं पुरस्कार स्थापित करना और प्रदान करना;

- (xiii) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मियों के लिए निवास स्थान संस्थित करना तथा उसका रखरखाव करना;
- (xiv) यथाविहित रीति से फीस तथा अन्य प्रभारों को नियत करना तथा उन्हें प्राप्त करना;
- (xv) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास, आचरण एवं अनुशासन का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना तथा उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण की अभिवृद्धि की व्यवस्था करना;
- (xvi) विजिटिंग प्रोफेसर, सम्मानित प्रोफेसर, परामर्शी, विद्वानों तथा ऐसे अन्य व्यक्तियों को संविदा पर अथवा अन्यथा रीति से नियुक्त करना, जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को बढ़ाने में योगदान कर सकें;
- (xvii) विश्वविद्यालय के कर्मियों की सभी कोटियों की सेवा शर्त, उनकी आचार संहिता सहित अवधारित करना;
- (xviii) विश्वविद्यालय तथा उससे सम्बद्ध अंगीभूत महाविद्यालयों के लिए नामांकन, परीक्षा, मूल्यांकन अथवा जाँच की किसी अन्य पद्धति सहित, के मानकों को विनिश्चित करना;
- (xix) विश्वविद्यालय के लिए उपकार,दान और उपहार प्राप्त करना तथा चल अथवा अचल संपत्तियों को अर्जित करना, कब्जे में रखना, प्रबंधन करना तथा हस्तान्तरित करना—न्यास एवं भेंट सहित : परन्तु राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई अचल संपत्ति अंतरित नहीं की जायेगी;
- (xx) प्रबंधन बोर्ड की अनुमति से उधार लेना या देना और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय की संपत्ति को प्रतिभूति रखकर विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ धन उधार लेना ;
- (xxi) पूरक सुविधाओं हेतु उद्योगों और सरकार के सहयोग को सूचीबद्ध करने के लिए उपाय आरंभ करना;
- (xxii) अपने शिक्षकों एवं छात्रों के बीच उद्यमिता की क्षमता बढ़ाना;
- (xxiii) पशु विज्ञान एवं प्रावैधिकी के व्यवसाय में अवसरों के अनुरूप जनता को शिक्षा देना;
- (xxiv) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए ऐसे सभी कार्य करना जो उपरोक्त शक्तियों के लिए आनुषांगिक हो अथवा न हो।

8. कुलाधिपति की शक्तियाँ एवं कृत्य — कुलाधिपति की निम्नलिखित शक्तियाँ एवं कृत्य होंगे :-

- (i) बिहार के राज्यपाल विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति होंगे।
- (ii) कुलाधिपति, उपस्थित रहने पर विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह की अध्यक्षता करेंगे।
- (iii) अवार्ड, मानद डिग्री एवं विशेषाधिकार कुलाधिपति के अनुमोदन के पश्चात् दी जाएगी।
- (iv) इस धारा के अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलाधिपति, लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या प्राधिकार के ऐसे किसी आदेश या कार्यवाही को रद्द कर सकेंगे जो इस अधिनियम और इसके अधीन बने परिनियम या अध्यादेश के अनुरूप न हो : परन्तु ऐसा कोई आदेश करने के पूर्व कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के संबद्ध पदाधिकारी या प्राधिकार से कारण पृच्छा करेंगे कि क्यों ऐसा आदेश पारित नहीं किया जाय और यदि विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर इसके संबंध में कोई युक्तियुक्त कारण दर्शाया जाता हो तो उस पर कुलाधिपति द्वारा विचार किया जायेगा;
- (v) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियाँ होगी, जो अधिनियम या परिनियम में विहित की जाय।
- (vi) कुलाधिपति को विश्वविद्यालय उसके बोर्ड अथवा संबंधित महाविद्यालय या संस्थाओं के छात्रावास, भवन, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय, संग्रहालय, कार्यशालाओं, फार्मों और उपकरणों, जिनका विश्वविद्यालय द्वारा संचालन एवं रख-रखाव किया जाता है अथवा शिक्षण एवं विश्वविद्यालय या इसके संरक्षण में होने वाले अन्य कार्य का ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा, जिनसे या जिन्हें वे निदेशित करें, निरीक्षण करवाने और विश्वविद्यालय प्रशासन और वित्तीय मामलों से संबंधित किसी विषय के संबंध में जाँच-पड़ताल करवाने का अधिकार होगा।
- (vii) कुलाधिपति, प्रत्येक मामले में, विश्वविद्यालय या बोर्ड को अपने निरीक्षण या जाँच-पड़ताल करवाने के आशय की सूचना देंगे तथा, जैसी स्थिति हो, विश्वविद्यालय या बोर्ड को, ऐसी सूचना प्राप्त होने पर सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, कुलाधिपति के समक्ष ऐसा अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा जिसे वह उचित समझे।
- (viii) विश्वविद्यालय या बोर्ड अथवा किसी अन्य संस्था द्वारा दिये गये अभ्यावेदन (यदि कोई हो) पर विचारण के बाद, कुलाधिपति उपधारा—(1) में यथानिर्दिष्ट निरीक्षण या जाँच-पड़ताल करवा सकेंगे।
- (ix) जहाँ निरीक्षण या जाँच-पड़ताल कुलाधिपति द्वारा करायी गयी हो, वहाँ विश्वविद्यालय या बोर्ड को एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हक होगा जिसे उस निरीक्षण अथवा जाँच-पड़ताल में उपस्थित होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

- (x) कुलाधिपति उस निरीक्षण या जॉच-पड़ताल का प्रतिवेदन तथा उसके बारे में अपने विचार तथा उस पर कार्रवाई करने की ऐसी सलाह, जैसा वे उचित समझें, विश्वविद्यालय या उसके बोर्ड को संसूचित करेंगे एवं उस पर विश्वविद्यालय की राय प्राप्त कर, विश्वविद्यालय को, समय-सीमा नियत करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह या निदेश दे सकेंगे।
- (xi) विश्वविद्यालय, इस प्रकार नियत समय-सीमा के भीतर, कुलाधिपति को उनके परामर्श पर की गई या प्रस्तावित कार्रवाई की सूचना देगा।
- (xii) जहाँ विश्वविद्यालय द्वारा नियत समय सीमा के भीतर कुलाधिपति के संतोष के अनुरूप कार्रवाई नहीं की गई हो, वहाँ कुलाधिपति, विश्वविद्यालय के द्वारा भेजे गये स्पष्टीकरण अथवा दिये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद, ऐसे निदेश जारी कर सकेंगे जैसा वे उचित समझें तथा विश्वविद्यालय उन निदेशों का अनुपालन करेगा।
- (xiii) इस धारा की पूर्ववर्ती उपधाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी भी समय कुलाधिपति की राय हो कि विश्वविद्यालय के किसी भी मामले में सही कार्रवाई नहीं हो रही है अथवा अधिनियम, परिनियम, अध्यादेश या विनियमों के आलोक में कार्रवाई नहीं हो रही हो या विश्वविद्यालय के शिक्षण कार्य, परीक्षा, शोध अथवा प्रसार कार्य के लिए विशेष प्रयास नहीं किया जा रहा है तो इस संबंध में वे विश्वविद्यालय से विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर वांछित कारण पृच्छा मांग सकेंगे। यदि विश्वविद्यालय विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर अपना स्पष्टीकरण देने में चूक जाय या उसका स्पष्टीकरण कुलाधिपति के विचार में संतोषजनक नहीं हो, तो कुलाधिपति ऐसे निदेश दे सकेंगे जो उन्हें उस मामले की परिस्थितियों में आवश्यक एवं वांछित प्रतीत हो और उन अनुदेशों को प्रभावी करने हेतु अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।
- (xiv) विश्वविद्यालय अपने प्रशासन से संबंधित ऐसी सूचनाएँ कुलाधिपति को भेजेगा जिनकी अपेक्षा उनके द्वारा की जाय।

अध्याय III

विश्वविद्यालय के प्राधिकार

9. विश्वविद्यालय के प्राधिकार।— विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकार होंगे, यथा—

- (1) प्रबंधन बोर्ड;
- (2) विद्वत (अकादमिक) परिषद्;
- (3) शोध परिषद ;
- (4) प्रसार शिक्षा परिषद;
- (5) संकाय, स्नातकोत्तर अध्ययन संकाय और उनके अध्ययन बोर्ड सहित;
- (6) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य निकाय जिन्हें परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय का प्राधिकार घोषित किया जाए।

10. प्रबंधन बोर्ड और इसका गठन।—(1) प्रथम कुलपति के नियुक्त होने के पश्चात् कुलाधिपति प्रबंधन बोर्ड का गठन, यथाशीघ्र, करेंगे।

(2) प्रबंधन बोर्ड विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक निकाय होगा और उसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

- (i) कुलपति;
- (ii) प्रधान सचिव/सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार या उसका नामनिर्देशिती ;
- (iii) प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग, बिहार सरकार या उसके नामनिर्देशिती ;
- (iv) प्रधान सचिव/सचिव, कृषि विभाग, बिहार सरकार या उसके नामनिर्देशिती ;
- (v) निदेशक पशुपालन, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार;
- (vi) निदेशक मत्स्य, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार;
- (vii) निदेशक, गव्य विकास, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार;
- (viii) पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान एवं सहबद्ध विज्ञान के क्षेत्र से दो प्रख्यात शिक्षाविद् जिनका नामनिर्देशन कुलाधिपति के द्वारा किया जाएगा ;
- (ix) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला, विश्वविद्यालय के अधिकारिता से, एक प्रगतिशील किसान;
- (x) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विशिष्ट कृषि उद्योगपति;
- (xi) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट की जाने वाली एक उत्कृष्ट महिला, सामाजिक कार्यकर्ता जिसकी ग्रामीण समुन्नति की पृष्ठभूमि हो;
- (xii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा नामित शिक्षा या पशु विज्ञान से एक प्रतिनिधि;
- (xiii) कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट चक्रानुक्रम में एक निदेशक ;
- (xiv) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में नाम निर्दिष्ट एक डीन संकाय;

(xv) रजिस्ट्रार।

(3) कुलपति इस प्रबंधन बोर्ड के पदेन अध्यक्ष तथा कुलसचिव गैर सदस्य सचिव होंगे।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न, बोर्ड के अन्य सदस्यों की पदावधि तीन वर्षों की होगी।

(5) जब मृत्यु, त्यागपत्र या पदावधि की समाप्ति से भिन्न किसी कारण से किसी सदस्य का पद रिक्त हो, तब उस रिक्ति की पूर्ति इस धारा के उपबंधों के अनुसार की जाएगी और ऐसी रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उस अवधि तक पद धारण करेगा जिस अवधि तक वह व्यक्ति सदस्य रहता जिसके स्थान पर उसने पद की पूर्ति की हो।

(6) "बोर्ड का शाश्वत उत्तराधिकार होगा एवं बोर्ड में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि मात्र के आधार पर बोर्ड की कोई कार्रवाई या कार्यवाही अमान्य नहीं होगी"

(7) बोर्ड की बैठक में बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति होगी:

परन्तु गणपूर्ति के अभाव में यदि बोर्ड की कोई बैठक स्थगित की जाती हो तो उसी कार्य के लिए बुलाई गई अगली बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी।

(8) बिहार सरकार एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारी को, जो बोर्ड के सदस्य हों, छोड़कर बोर्ड के अन्य सदस्य 'प्रबंधन बोर्ड' द्वारा निश्चित मानदेय यथा विनिश्चित दैनिक भत्ता तथा यात्रा मानदेय एवं मानदेय के हकदार होंगे।

(9) विश्वविद्यालय का कोई भी पदाधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी उपधारा (2) के खंड (v) से (ix) तक के अधीन बोर्ड का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा।

(10) बोर्ड अपनी बैठक में विचारण के अधीन किसी विषय का अनुभव या विशेष जानकारी रखने वाले किसी व्यक्तिको परामर्श के प्रयोजनार्थ आमंत्रित कर सकेगा। वह व्यक्ति बैठक में अपने विचार रख सकता है या बोर्ड की कार्यवाही में अन्यथा भाग ले सकेगा, परन्तु वह मतदान-अधिकार का हकदार नहीं होगा। ऐसा आमंत्रित व्यक्ति बैठक में उपस्थित होने के लिए यथा विहित भत्ते का हकदार होगा।

(11) सामान्यतः बोर्ड की बैठक कुलपति द्वारा नियत तिथि पर प्रत्येक तीन महीने में एक बार निश्चित रूप से होगी। तथापि कुलपति, जब कभी उचित समझे, बोर्ड के पाँच से अन्यून सदस्यों की लिखित एवं हस्ताक्षरित अपेक्षा पर, बोर्ड की विशेष बैठक बुला सकेंगे।

11. प्रबंधन बोर्ड की शक्तियों और कृत्य।—

(1) इस अधिनियम एवं परिनियम के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड मुख्य कार्यकारी निकायी होगा तथा वह विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों एवं गतिविधियों का प्रबंधन एवं पर्यवेक्षण करेगा तथा वही उन सभी प्रशासनिक मामलों के संचालन करने हेतु जिम्मेवार होगा जिनके लिए अन्यथा उपबंध इस अधिनियम में नहीं किया गया हो।

(2) उप धारा (1) के प्रावधानों के अधीन पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग एवं कृत्यों का अनुपालन करेगा :-

- (i) विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं, प्राक्कलनों और बजट पर विचार करना तथा अनुमोदन करना;
- (ii) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति एवं निधि का धारित एवं नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की तरफ से कोई सामान्य निदेश निर्गत करना;
- (iii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी सम्पत्ति को स्वीकार या अंतरित करना;
- (iv) आशयित प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय को दी गयी निधि को प्रशासित करना;
- (v) विश्वविद्यालय की निधि के निवेश और निकासी की व्यवस्था करना;
- (vi) राज्य सरकार की पूर्व अनुमोदन से पूँजी निवेश के लिये धन उधार लेना और उसके भुगतान की उचित व्यवस्था करना;
- (vii) विश्वविद्यालय की ओर से न्यास, वसीयत और दान स्वीकार करना;
- (viii) जहाँ अपेक्षित हो वहाँ अकादमिक शोध एवं शिक्षा-प्रसार परिषदों की अनुशंसाओं पर विचार करना तथा उनका अनुमोदन करना
- (ix) विश्वविद्यालय की सामान्य मुहर के स्वरूप एवं उसके उपयोग के संबंध में निदेश देना;
- (x) यथावश्यक समितियों और निकायों का गठन करना तथा इस अधिनियम और परिनियम के प्रावधानों के अनुसार उनके सन्दर्भ में शर्तों को अवधारित करना;
- (xi) विद्वत (अकादमिक) परिषद की अनुशंसा पर महाविद्यालय, विभाग, केन्द्र या शोध केन्द्र/उपकेन्द्र की स्थापना करना या उनमें से किसी की समाप्ति पर विचार करना तथा अनुमोदन करना अथवा विद्वत परिषद् की अनुशंसा पर विभाग, शोध केन्द्र का पुनर्गठन करना;
- (xii) नये महाविद्यालय या संकाय की स्थापना, दो या अनेक महाविद्यालयों या संकायों का एक में विलयन या महाविद्यालय अथवा संकाय की समाप्ति पर विद्वत (अकादमिक) परिषद की अनुशंसा पर, विचार करना तथा अनुमोदित करना;

- (xiii) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों/पदधारियों तथा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अनुशंसाओं को अनुमोदित करना;
- (xiv) विश्वविद्यालय एवं उसके महाविद्यालयों, केन्द्रों एवं संस्थाओं में विभिन्न पदों का सृजन करना;
- (xv) ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करना जो परिनियम द्वारा उसे समनुदेशित किये जाय।

12. विद्वत् परिषद् (अकादमिक परिषद्)।— (1.) विद्वत् परिषद् (अकादमिक परिषद्) में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

- (i) कुलपति — पदेन सभापति;
- (ii) सभी निदेशक,परिसर शिक्षा, शोध एवं प्रसार शिक्षा;
- (iii) सभी संकायाध्यक्ष एवं महाविद्यालयों के प्रधानाचार्य;
- (iv) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष—सह— सूचना पदाधिकारी
- (v) छात्र कल्याण पदाधिकारी;
- (vi) चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हरेक संकाय का एक विभागाध्यक्ष;
- (vii) चक्रानुक्रम से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सह निदेशक शोध या प्रसार;
- (viii) सभी विभागाध्यक्ष सह विश्वविद्यालय प्राध्यापक;
- (ix) चक्रानुक्रम से तथा विहित रीति से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट हरेक संकाय से एक सह—प्राध्यापक;
- (x) पशु विज्ञान या सहबद्ध विषय के एक प्रख्यात शिक्षाविद् जो विश्वविद्यालय से बाहर का हो और जिनका नाम निर्देशन बोर्ड के अनुमोदन से कुलपति द्वारा किया जाय;
- (xi) रजिस्ट्रार — सदस्य—सचिव के रूप में।

(2.) विद्वत् परिषद् यथा विहित अवधि के लिए तथा यथाविहित रीति से अधिकतम चार व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगा ताकि पशु विज्ञान एवं सहबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो।

(3.) विद्वत् परिषद् के सभी सदस्य,पदेन सदस्य उपधारा (2) में निर्दिष्ट को छोड़कर,दो वर्षों की अवधि के लिए पद धारण करेंगे।

(4.)परिषद् की बैठक में गणपूर्ति एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से होगी :

परन्तु, यदि गणपूर्ति के अभाव में परिषद् की कोई बैठक स्थगित की जाती हो, तो उसी कार्य के सम्पादनार्थ आहूत अगली बैठक के लिए किसी गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होगी :

(5.) सामान्यतः विद्वत् परिषद् की बैठक हरेक चार माह में एक बार कुलपति द्वारा यथा नियत तिथि को होगी। फिर भी, कुलपति द्वारा विद्वत् परिषद् की विशेष बैठकें बुलायी जा सकेंगी।

13. विद्वत् परिषद् की शक्तियाँ एवं कृत्य।—(1) इस अधिनियम एवं परिनियम के उपबंधों के अधधीन, विद्वत् परिषद् को विनियमों द्वारा पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या विनिश्चित करने की शक्ति होगी, और विश्वविद्यालय के भीतर अध्यापन एवं अन्य शैक्षिक कार्यक्रमों पर नियंत्रण होगा और वह उनके मानकों के बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) विद्वत् परिषद् को अपने नियंत्रण के अधधीन, सभी शैक्षिक मामलों के संबंध में इस अधिनियम और परिनियमों से संगत विनियम बनाने, ऐसे विनियमों को संशोधित या निरसित करने की शक्ति होगी।

(3) विशिष्टतः पूर्ववर्ती शक्तियाँ की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, विद्वत् परिषद् को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :—

- (i) पुस्तकालय के संचालन एवं नियंत्रण सहित सभी अकादमिक मामलों में बोर्ड और कुलपति को सलाह देना;
- (ii) प्राध्यापक, सह—प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और अन्य शिक्षकीय पदों, जिसमें शोध और शिक्षा विस्तार के पद भी सम्मिलित हैं, पर नियुक्ति एवं उनसे संबंधित कर्तव्यों के लिए अनुशंसा करना;
- (iii) शिक्षण, शोध एवं शिक्षा विस्तार के विभागों /संकायों के गठन/ पुनर्गठन हेतु अनुशंसा करना;
- (iv) विश्वविद्यालय के छात्रों के नामांकन से संबंधित विनियम बनाना और प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या अवधारित करना;
- (v) डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्र प्रदायक पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियम बनाना;
- (vi) परीक्षा के संचालन से संबंधित विनियम बनाना और शिक्षा के मानकों को बनाए रखना तथा उसमें सुधार लाना;
- (vii) मानद उपाधि प्रदान करने के संबंध में बोर्ड को अनुशंसा करना;
- (viii) विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए अर्हताएं अवधारित करने के संबंध में अनुशंसा करना;
- (ix) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करना जो इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन बोर्ड या कुलपति द्वारा उसे प्रदत्त या अधिरोपित किए जाएँ।

14. शोध परिषद्।—(1) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बननेवाली एक शोध परिषद् होगी :—

- (i) कुलपति;
 - (ii) बिहार सरकार के पशुपालन/गव्य/मत्स्य उद्योग के निदेशकगण एवं कृषि निदेशक/मुख्य वन संरक्षक (विश्वविद्यालय के शोध कार्यक्रम की प्रकृति के आधार पर)
 - (iii) विश्वविद्यालय के सभी निदेशक;
 - (iv) सभी संकायाध्यक्ष;
 - (v) सभी सह निदेशक शोध एवं प्रसार;
 - (vi) सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय प्रोफेसर एवं केन्द्रों के अध्यक्ष;
 - (vii) विश्वविद्यालय से बाहर के दो प्रख्यात पशु विज्ञान या सहबद्ध विषयों के शिक्षाविद हो जिनका नामनिर्देशन कुलपति द्वारा, बोर्ड का अनुमोदन के अध्यक्षीन, किया जायेगा;
 - (viii) शोध परिषद् यथा विहित अवधि के लिए तथा यथाविहित रीति से अधिकतम चार व्यक्तियों को सदस्य के रूप में सहयोजित कर सकेगी ताकि पशु विज्ञान एवं सहबद्ध विषयों के विभिन्न क्षेत्रों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो सके।
- (2) कुलपति शोध परिषद् के पदेन सभापति एवं निदेशक शोध उसके सदस्य-सचिव होंगे।

15. शोध परिषद् के कृत्य I—शोध परिषद् निम्नलिखित के संबंध में विचार एवं अनुशंसा करेगी :-

- (i) राज्य के विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों, पशुपालन एवं पशु विज्ञान, गव्य प्रौद्योगिकी, मत्स्य उद्योग, मुर्गीपालन एवं अन्य सहबद्ध विज्ञान में चलाए जा रहे शोध कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं में प्रभावकारी समन्वय को बढ़ावा देने;
- (ii) शोध परियोजनाओं के परिचालन के लिए भौतिक, वित्तीय एवं प्रशासनिक सुविधाएँ प्रदान करने;
- (iii) शोध कार्यक्रमों को किसानों के लिए उपयोगी बनाने;
- (iv) शोध, प्रसार शिक्षा एवं शिक्षण कार्यक्रमों को समेकित करने तथा शोधार्थियों की शिक्षण तथा प्रसार शिक्षा कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करने;
- (v) शोध कार्यक्रमों से संबंधित अन्य विषय जो कुलपति या बोर्ड या विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकार द्वारा निर्देशित हो।

16. शिक्षा प्रसार परिषद् I—(1) निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बननेवाली एक शिक्षा प्रसार परिषद् होगी—

- (i) कुलपति;
- (ii) बिहार सरकार के पशुपालन, गव्य एवं मात्स्यिकी के निदेशकगण;
- (iii) विश्वविद्यालय के सभी निदेशक;
- (iv) सभी संकायाध्यक्ष;
- (v) सभी विभागाध्यक्ष, क्षेत्रीय शोध केन्द्र, महाविद्यालयों एवं केन्द्रों के अध्यक्ष;
- (vi) एजेंडा के अनुसार किसी विशिष्ट बैठक के लिए कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय से बाहर के शिक्षा प्रसार क्षेत्र के प्रख्यात व्यक्ति;
- (vii) सामान्य पशुपालन, मत्स्य उद्योग एवं अन्य सहबद्ध शाखाओं में विशेषज्ञता रखने वाले तीन ऐसे प्रगतिशील किसान जिन्हें विशिष्ट ज्ञान एवं अनुभव के लिए कुलपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जायेगा;
- (viii) कुलपति के निवेदन के अनुसार निम्नलिखित संस्थाओं का एक-एक प्रतिनिधि :-
(क) ग्रामीण विकास विभाग;
(ख) सहकारिता विभाग;
(ग) अन्य कृषि-उद्योग या कृषि सेवा से जुड़े संगठन/निगम;

(2) कुलपति पदेन सभापति एवं निदेशक शिक्षा प्रसार, सदस्य-सचिव होंगे।

17. शिक्षा प्रसार परिषद् के कृत्य I—(1) शिक्षा प्रसार परिषद् निम्नलिखित के संबंध में विचार एवं अनुशंसा करेगी:-

- (i) विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा प्रसार कार्यक्रम एवं परियोजनाएँ;
- (ii) पशुपालन एवं सहबद्ध शाखाओं को बढ़ावा देने हेतु और ग्रामीण समुदायों के विकास हेतु शिक्षा प्रसार गतिविधियों का समन्वय;
- (iii) किसानों की शिक्षा एवं प्रशिक्षण और परामर्श सेवाएँ, विकसित करना, क्षेत्रीय समस्याओं की पहचान एवं समाधान करना और सूचनाओं का संचरण;
- (iv) शिक्षा प्रसार की प्रणाली;
- (v) विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रसार का शिक्षण एवं शोध के साथ समेकन और शिक्षकों तथा शोधकर्त्ताओं की शिक्षा प्रसार कार्यक्रमों में भागीदारी सुनिश्चित करने;

(vi) अन्य विषय जो कुलपति, बोर्ड या विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकार द्वारा निर्देशित हो ।

18. संकाय और उनकी अध्ययन पर्षद।—(1) विश्वविद्यालय पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन, गव्य प्रौद्योगिकी, मत्स्य उद्योग, मुर्गीपालन, स्नातकोत्तर अध्ययन तथा ऐसे अन्य संकाय, जो कालान्तर में परिणियमों द्वारा विहित किए जायं।

(2) हर संकाय में एक डीन होगा जिसकी नियुक्ति परिणियमों में यथाविहित रीति से की जाएगी।

(3) इन संकायों में यथाविहित विभाग/केन्द्र शामिल होंगे तथापि विषय एवं कार्यों की प्रकृति के आधार पर एक विभाग/केन्द्र, एक से अधिक संकाय की आवश्यकता को पूर्ण कर सकेगा।

(4) प्रत्येक संकाय में यथाविहित सदस्य होंगे तथा संबंधित संकाय के संकायाध्यक्ष (डीन) सभापति होंगे।

(5) प्रत्येक संकाय के कृत्य निम्नलिखित होंगे :—

(i) शिक्षण कार्यों का पुनरीक्षण और उसके सुधार के लिए सुझाव देना;

(ii) विश्वविद्यालय के संबंधित अध्ययन बोर्ड की अनुशंसाओं पर विचार करना तथा उन्हें विद्वत् परिषद् में विचारण तथा अनुमोदन के लिए पेश करना;

(iii) विषय वस्तु के संकाय स्नातक स्तरीय कार्यक्रमों के लिए उत्तरदायी होंगे जबकि स्नातकोत्तर अध्ययन संकाय स्नातकोत्तर तथा डाक्टरेट की डिग्री के कार्यक्रमों के लिये उत्तरदायी होंगे;

(iv) ऐसे अन्य कार्य जो विद्वत् परिषद् या कुलपति द्वारा इसे सौंपे गए हों।

(6) प्रत्येक संकाय का अध्ययन बोर्ड होगा जिसका गठन यथाविहित रीति से किया जाएगा। संकाय के अध्यक्ष (डीन) इसके सभापति होंगे।

(7) अध्ययन बोर्ड के निम्नलिखित कृत्य होंगे :—

(i) संकाय द्वारा दिये जा रहे विभिन्न शिक्षण कार्यक्रमों के लिए अध्ययन के कोर्स और पाठ्यक्रम संबंधित संकाय को अनुदेश प्रस्तावित करना;

(ii) अन्य ऐसे कृत्यों का अनुपालन करना जो संबंधित संकाय, अन्य प्राधिकारों और कुलपति के द्वारा निर्देशित किए जायं।

19. समितियों का गठन।—प्रत्येक प्राधिकार को समितियों की नियुक्ति का अधिकार होगा, जिसमें, इस अधिनियम या परिणियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, प्राधिकार के सदस्य या अन्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें वह पात्र समझे।

20. प्राधिकारों की सदस्यता के संबंध में प्रावधान।—(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, यदि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य, मृत्यु, त्यागपत्र, हटाए जाने के कारण अथवा अन्यथा, अपनी पूरी पदावधि पूरा करने में असमर्थ हो, तो इस प्रकार हुई रिक्ति, सुविधानुसार यथाशीघ्र, जैसी स्थिति हो, नियुक्ति, नामनिर्देशन या सहयोजन द्वारा भरी जाएगी, और इस प्रकार नियुक्त, नामनिर्देशित या सहयोजित व्यक्ति उस रिक्ति की पूर्ति उस सदस्य की पदावधि की शेष अवधि तक करेगा जिसके स्थान पर वह नियुक्त, मनोनीत या सहयोजित किया गया है, अन्यथा पद पर बना रहता।

(2) कुलाधिपति के अनुमोदन से बोर्ड किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय की सदस्यता से, इस आधार पर हटा सकेगा कि ऐसा व्यक्ति नैतिक अधमता के किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है अथवा संबद्ध सदस्य का आचरण उसके द्वारा धारित पद के अनुरूप नहीं है, किन्तु जहाँ ऐसा कोई व्यक्ति सक्षम न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराया गया हो, वहाँ कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी:

परन्तु, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय में दूसरे निकाय, चाहे वह विश्वविद्यालय का हो या न हो, के प्रतिनिधि के रूप में सदस्य हो, यदि अपनी सदस्यता की पदावधि की समाप्ति के पूर्व उस अन्य निकाय, जिसने उसे नियुक्त या मनोनीत किया हो, का सदस्य न रह जाता हो, तो वह ऐसे प्राधिकार या निकाय का सदस्य नहीं रह जाएगा।

(4) जब कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय का सदस्य किसी पदधारक के कारण होता है तो वह अपनी सदस्यता की अवधि की समाप्ति के पूर्व ऐसे पद पर नहीं बना रहेगा यदि वह अपने धारित पद का सदस्य नहीं रह जाता :

परन्तु के मात्र इस कारण से उसके पदधारण की समाप्ति नहीं मानी जायेगी कि वह चार माह से अनधिक अवधि के लिए छुट्टी पर जा रहा है।

(5) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलपति को संबोधित पत्र द्वारा अपने पद से त्याग पत्र दे सकेगा और ऐसा त्याग पत्र स्वीकार किए जाने पर, उस तारीख से प्रभावी होगा जिस तारीख को वह सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत किया गया हो जो कि उस रिक्ति को भर सकने में समर्थ हो अथवा कुलपति, द्वारा उस त्याग पत्र की प्राप्ति की तारीख के तीन महीने की अवधि बीतने में से जो भी पहले हो।

21. कार्यों की विधिमान्यता और संरक्षा।—(1) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही, उसके सदस्यों में से किसी की रिक्ति की विद्यमानता के कारण अथवा किसी ऐसे व्यक्ति की कार्यवाही में भाग लेने के कारण जिसका वह हकदार नहीं था, अविधिमान्य नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, विश्वविद्यालय या इसके किसी प्राधिकार द्वारा सदभावनापूर्वक किए गए सभी कार्य या पारित किए गए आदेश अंतिम होंगे और इस अधिनियम, अध्यादेश, परिनियमों या विनियमों के अनुसरण में की गई या किए जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय या इसके प्राधिकार के विरुद्ध कोई वाद नहीं चलाया जाएगा अथवा नुकसान का दावा नहीं किया जाएगा।

(3) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी परिनियम के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई, किए जाने हेतु आशयित किसी बात के लिए विश्वविद्यालय के किसी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

अध्याय IV

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी

22. पदाधिकारी।—विश्वविद्यालय के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे, यथा :-

- (i) कुलपति;
- (ii) निदेशक (आवासीय शिक्षण);
- (iii) निदेशक, शोध
- (iv) निदेशक, शिक्षा प्रसार;
- (v) संकायों के संकायाध्यक्ष;
- (vi) रजिस्ट्रार (कुलसचिव);
- (vii) वित्त नियंत्रक;
- (viii) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष—सह—सूचना पदाधिकारी;
- (ix) छात्र कल्याण पदाधिकारी;
- (x) विधि पदाधिकारी;
- (xi) जन सम्पर्क पदाधिकारी;
- (xii) विश्वविद्यालय की सेवा के ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय का पदाधिकारी घोषित किया जाए।

23.(1) कुलपति।—(i) सर्वोच्च दक्षता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत प्रतिबद्धता के व्यक्तियों को ही कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। कुलपति पद पर नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति पशु विज्ञान एवं प्रावैधिकी में विख्यात शिक्षाविद् होना चाहिए, जिसके पास किसी भी विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रोफेसर के रूप में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो अथवा किसी भी प्रतिष्ठित शोध अथवा अकादमिक प्रशासनिक संगठन में समकक्ष पद पर 10 वर्षों का अनुभव हो।

(ii) कुलपति का चयन 3 प्रख्यात सदस्यों के पैनल में से एक सार्वजनिक सूचना के जरिये सर्च समिति द्वारा चिन्हित किया जाएगा। उपर्युक्त सर्च समिति के सदस्य उच्च शिक्षा क्षेत्र के अत्यन्त प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे तथा वे किसी भी रूप में संबंधित विश्वविद्यालय या उसके महाविद्यालयों से जुड़े नहीं होंगे। पैनल तैयार करते समय सर्च समिति अकादमिक उत्कृष्टता को उचित महत्व देते हुए देश-विदेशों में उच्च शिक्षा संबंधी अध्यापन कार्य तथा अकादमिक या प्रशासनिक क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव को उचित अधिमानता अवश्य देगी तथा इसे लिखित रूप में पैनल सदस्यों की सूची के साथ कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

कुलपति, कुलाधिपति द्वारा राज्य सरकार के प्रभावी एवं अर्थपूर्ण परामर्श सेइस धारा की उपधारा (iii) के अधीन गठित समिति द्वारा अनुशंसित तीन से अत्यून व्यक्तियों (नाम वर्णक्रम से व्यवस्थित होंगे) के पैनल से नियुक्त किये जायेंगे। परन्तु कुलाधिपति उस प्रकार अनुशंसित व्यक्तियों में से किसी को अनुमोदित नहीं करें तो वे सरकार के परामर्श से नयी अनुशंसाओं की माँग कर सकेंगे।

(iii) सर्च समिति निम्नलिखित रीति से गठित की जायेगी :-

- (क) राज्य सरकार के द्वारा नामनिर्दिष्ट मुख्य सचिव स्तर का एक सदस्य जो सर्च समिति की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष के रूप में करेगा।
- (ख) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, जो शिक्षा के क्षेत्र अथवा पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एक प्रख्यात विद्वान या (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् पुरस्कार से विभूषित) शिक्षाविद् होगा;
- (ग) कुलाधिपति द्वारा सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट पशु विज्ञान/मत्स्य उद्योग/गव्य तकनीकी से संबंधित राष्ट्रीय ख्याति की संस्था या राष्ट्रीय स्तर के संगठन का निदेशक या प्रमुख या कानुनी विश्वविद्यालय का कुलपति।

(2) प्रथम कुलपति की नियुक्ति बिहार सरकार द्वारा उपधारा (1) (II) एवं 1 (III) के प्रवृत्त होने तक किया जाएगा।

(3) प्रथम कुलपति पदधारण करने की तिथि से पाँच वर्षों एवं अतिरिक्त दो वर्षों का विस्तार के कार्यकाल के लिए पद धारण करेंगे और अगले कार्यकाल के लिये पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे और अधिकतम उम्र सीमा 70 वर्ष होगी। अनुवर्ती कुलपति तीन वर्ष या 70 वर्षों इनमें जो पहले हो, तक के लिए नियुक्त किये जायेंगे:

परन्तु राज्य सरकार कार्यकाल की समाप्ति के बाद, भी उस कुलपति से अपने द्वारा विनिर्दिष्ट एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या उक्त पद पर बने रहने की अपेक्षा सरकार द्वारा की जा सकेगी।

(4) कुलपति की परिलब्धियाँ एवं अन्य सेवा-शर्तें वही होंगी जो परिनियम द्वारा विहित की जाय।

(5) प्रथम कुलपति का पद मृत्यु, पद-त्याग एवं अन्यथा खाली हो जाय अथवा अस्वस्थता या किसी अन्य कारण से वह अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने में असमर्थ हो जाय तो राज्य सरकार को शेष अवधि के लिए कुलपति को नियुक्त करने का प्राधिकार होगा।

24. कुलपति को पद से हटाया जाना—(1) ऐसी जाँच पड़ताल के बाद जैसा आवश्यक समझी जाए, यदि किसी समय कुलाधिपति को यह प्रतीत हो कि कुलपति—

- (i) इस अधिनियम, परिनियम एवं अध्यादेश एवं विनियमों के अधीन अधिरोपित किसी कर्तव्य के निर्वहन में असफल हो गये हैं, अथवा
- (ii) विश्वविद्यालय के हितों के प्रतिकूल एवं हानिकर रीति से कार्य किये हैं, अथवा
- (iii) विश्वविद्यालय के क्रिया कलापों का प्रबंधन करने में असमर्थ रहे हैं, या इस प्रकार का आचरण किये हैं जिससे दुर्व्यवहार का बोध हो, तो इस तथ्य के होते हुए भी कि कुलपति का कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, लिखित सकारण आदेश द्वारा, राज्य सरकार के परामर्श के पश्चात्, उस कुलपति से, आदेश में यथाविनिर्दिष्ट तिथि से, अपने पद से त्यागपत्र देने की अपेक्षा कर सकेंगे।

(2) उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा जब तक प्रस्तावित विनिर्दिष्ट आधारों का उल्लेख करते हुए प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण पृच्छा देने का युक्तियुक्त अवसर हेतु एक सूचना कुलपति को तामील न की गई हो।

(3) इस धारा की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट तिथि को/से यह समझा जायेगा कि कुलपति ने पदत्याग कर दिया है और कुलपति का पद खाली समझा जायेगा।

25. कुलपति की शक्तियाँ एवं कर्तव्य—(1) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षिक पदाधिकारी होंगे तथा विश्वविद्यालय के बोर्ड, उसके विद्वत् परिषद् और अन्य प्राधिकारों का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेंगे तथा उन व्यक्तियों को डिग्रीयां प्रदान करेंगे जो उसे प्राप्त करने के हकदार हों।

(2) कुलपति प्रबंधन बोर्ड, विद्वत् परिषद्, शोध परिषद् एवं शिक्षा प्रसार परिषद् की बैठकें आहूत करेंगे।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा तथा विश्वविद्यालय में सम्यक अनुशासन बनाये रखने के लिए जिम्मेदार होंगे।

(4) कुलपति इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों के प्रावधानों का विश्वसनीय अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(5) प्रबंधन बोर्ड को वार्षिक वित्तीय प्राक्कलन, वार्षिक लेखा एवं Balance Sheet प्रस्तुत करने के लिए कुलपति जिम्मेदार होगा।

(6) कुलपति की यदि राय हो कि किसी विषय पर तुरत कार्रवाई करना आवश्यक है तो, इस अधिनियम के द्वारा या इसके अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेंगे और अगली बैठक में अपने द्वारा उस विषय में की गई कार्रवाई के संबंध में उस प्राधिकार को प्रतिवेदन देंगे:

परन्तु इस शक्ति का प्रयोग केवल आपात स्थितियों में किया जाएगा और किसी भी दशा में इसका प्रयोग पद सृजन, उत्क्रमण और नियुक्तियों एवं परिलब्धियों के संबंध में नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि संबंधित प्राधिकार की राय हो कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो वह प्राधिकार उस विषय को कुलाधिपति को संदर्भित कर सकेगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा:

परन्तु यह और भी कि विश्वविद्यालय की सेवा के किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से व्यथित हो, जिस तिथि को निर्णय संसूचित किया गया हो, उसके तीन माह के भीतर बोर्ड के समक्ष उस कार्रवाई के विरुद्ध अपील करने का अधिकार होगा और तब बोर्ड कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को सम्पुष्ट, उपांतरित अथवा उलट सकेगा।

(7) यदि कुलपति की राय हो कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमया विनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों से परे है अथवा लिया गया निर्णय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है तो कुलपति संबंधित प्राधिकार से उस निर्णय का पुनर्विलोकन, उसकी तिथि से साठ दिनों के भीतर करने हेतु, कह सकेंगे और यदि वह प्राधिकार उस विनिश्चय का पुनर्विलोकन पूर्णतः या अंशतः करने से इन्कार करे अथवा उसके द्वारा साठ दिनों के भीतर कोई निर्णय नहीं लिया जाय तो वह मामला कुलाधिपति को भेज दिया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(8) जहाँ उपधारा-7 के अधीन कुलपति द्वारा की गई किसी कार्रवाई से विश्वविद्यालय की सेवा में कार्यरत कोई व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो तो, वह व्यक्ति कार्रवाई की सूचना मिलने के तीस दिनों के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील कर सकेगा।

(9) पूर्ववर्ती उपधाराओं के प्रावधानों के अधीन, कुलपति अधिकारियों, शिक्षकों एवं विश्वविद्यालय के अन्य कर्मियों की नियुक्ति, प्रोन्नति और बर्खास्तगी के संबंध में बोर्ड के निर्णय को लागू करेंगे।

(10) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के उचित प्रशासन के लिए जिम्मेदार होंगे और वह शिक्षण, शोध एवं शिक्षा प्रसार के सूक्ष्म समन्वय एवं समेकन के लिए भी जिम्मेदार होंगे।

(11) कुलपति ऐसी अन्य सभी शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे और ऐसे सभी कार्य कर सकेंगे जिसे इस अधिनियम और परिनियमों के प्रावधानों के अधीन उन्हें प्रदत्त अथवा अधिरोपित किए गए हों।

26. विश्वविद्यालय के अन्य पदाधिकारी।—सामान्य नियम व शर्तें : धारा 22 के खंड (iii) से (xi) में वर्णित विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की नियुक्ति कुलपति द्वारा, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकार के अनुमोदन के पश्चात्, उन निबंधनों एवं शर्तों पर की जाएगी जो विहित की जाय :

परंतु कुलपति अस्थाई युक्ति के रूप में ऐसे पदाधिकारियों की नियुक्ति छः माह की अवधि के लिये, विश्वविद्यालय के संबंधित प्राधिकार को सूचना के अधीन कर सकेंगे।

27. निदेशक, संकायाध्यक्ष कुलसचिव, वित्त नियंत्रक आदि।—(1) **निदेशक, आवासीय शिक्षण** : विश्वविद्यालय में एक निदेशक आवासीय शिक्षण होगा जो अन्तर संकाय एवं अन्तर परिसर आवासीय अनुदेशात्मक कार्यक्रमों के निदेशन और समन्वय तथा स्नातक व स्नातकोत्तर शिक्षण के सभी स्तरों को उत्तम स्तर बनाए रखने व उन्नयन के लिए जिम्मेदार होगा। वह विश्वविद्यालय के आवासीय अनुदेशों एवं शिक्षा प्रौद्योगिकी के विकास तथा शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रमों से संबंधित सभी नीतिगत विषयों एवं प्रणाली से सरोकार रखेगा। वह स्नातकोत्तर अध्ययन संकाय के अध्यक्ष का भी कार्य करेगा।

(2) **निदेशक शोध**।— विश्वविद्यालय में एक निदेशक शोध होगा जो विश्वविद्यालय के शोध कार्यक्रमों, जैसा धारा-30 में वर्णित है, के निदेशन एवं समन्वय के लिए तथा शोध केन्द्रों में कार्यकुशलता के लिए जिम्मेदार होगा।

(3) **निदेशक, शिक्षा प्रसार**।— एक निदेशक, शिक्षा प्रसार होगा, जो पशु चिकित्सा एवं पशुपालन विज्ञान में प्रसार कार्यक्रमों जैसा कि धारा 31 में दिया गया है, के निदेशन और समन्वय के लिए जिम्मेदार होगा।

(4) **संकायाध्यक्ष (डीन)**।—(i) संकायाध्यक्ष संबंधित संकाय और इसके अध्ययन बोर्ड का अध्यक्ष होगा तथा संकाय के शिक्षण कार्यक्रम के आयोजन एवं क्रियान्वयन हेतु कुलपति के प्रति जिम्मेदार होगा।

(ii) स्नातकोत्तर अध्ययन संकाय का संकायाध्यक्ष विश्वविद्यालय के सभी विभागों, महाविद्यालयों एवं इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करेगा।

(5) **रजिस्ट्रार**।—(i) रजिस्ट्रार प्रबंधन बोर्ड का पदेन गैरसदस्य-सचिव तथा विद्वत् परिषद् के पदेन सचिव-सदस्य होगा।

(ii) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुहर की सम्यक् अभिरक्षा का जिम्मेदार होगा।

(iii) रजिस्ट्रार विद्वत् परिषद् के स्थाई अभिलेखों, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की उपलब्धियों, जिसमें लिए गए पाठ्यक्रम, प्राप्त क्रेडिट, डिग्रियाँ पुरस्कार अथवा अन्य विशिष्टताएँ तथा छात्रों के अकादमिक कार्यकलाप के अन्य विन्दु और अनुशासन भी शामिल हैं, के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार होगा।

(iv) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित एवं प्राप्त करेगा।

(v) विश्वविद्यालय के यथाविहित स्थापना विषयक कार्य तथा सामान्य प्रशासन के लिए रजिस्ट्रार जिम्मेदार होगा।

(6) **वित्त नियंत्रक**।—(i) वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय का बजट तथा लेखा विवरणी तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह विश्वविद्यालय की निधियों का प्रबंधन तथा निवेश करेगा। वह यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि व्यय प्राधिकृत रूप में किया गया है।

(ii) वित्त नियंत्रक विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों में संधारित लेखा के आवधिक आन्तरिक निरीक्षण की व्यवस्था करेगा।

(iii) वित्त नियंत्रक बोर्ड द्वारा अनुमोदित रूप में तथा रीति से विश्वविद्यालय के लेखा के संधारण के लिए जिम्मेदार होगा तथा नकद की स्थिति, बैंक-बैलेंस और निवेश की स्थिति पर सतत नजर रखेगा।

(iv) वित्त नियंत्रक यह देखेगा कि भवनों, प्रक्षेत्रों, उपकरणों, फर्नीचरों एवं अन्य चीजों से संबंधित रजिस्टर का संधारण अद्यतन है और विश्वविद्यालय की सभी इकाइयों और कार्यालयों में सभी चीजों का नियमित स्टॉक मिलान किया जाता है।

(7) **विश्वविद्यालय का पुस्तकालयाध्यक्ष**।—वह विश्वविद्यालय के पुस्तकालय का रख-रखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा तथा विश्वविद्यालय की विभिन्न अंगीभूत इकाइयों के पुस्तकालयों को दिशा-निर्देश देने तथा समन्वय स्थापित करने तथा विश्वविद्यालय के सभी पुस्तकालयों के संचालन व विकास हेतु वार्षिक प्राक्कलन तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(8) **छात्र कल्याण पदाधिकारी**।— छात्र कल्याण पदाधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-

- (i) छात्रावासों, जलपानगृहों तथा मेस की व्यवस्था एवं प्रबंधन का पर्यवेक्षण करना ;
- (ii) छात्रों के लिये पाठ्यतर गतिविधियों जैसे खेलकूद, सांस्कृतिक और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों, राष्ट्रीय कैंडेट कोर तथा अन्य सहबद्ध गतिविधियों की योजना बनाना और उनका संचालन करना;
- (iii) छात्रों के लिये सलाह व परामर्श देने वाले कार्यक्रमों की योजना बनाना तथा निदेशित करना तथा भावी नियोजकों एवं रोजगार देने वाली संस्थाओं की सूची बनाना तथा स्नातक छात्रों को रोजगार दिलाने हेतु उनकी सहायता के लिए उन संस्थाओं से समन्वय स्थापित करना तथा विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन को बढ़ावा देना;
- (iv) विश्वविद्यालय की चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवाओं तथा अन्य कल्याणकारी योजनाओं का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करना;
- (v) छात्रों के लिये शोधवृत्ति छात्रवृत्ति, अंशकालिक रोजगार तथा अध्ययन भ्रमण हेतु यात्रा-सुविधाओं की व्यवस्था करना;
- (vi) छात्र कल्याण पदाधिकारी जहाँ आवश्यक हो, संकायाध्यक्ष/निदेशक से सलाह लेंगे।

(9.) विधि पदाधिकारी —विधि पदाधिकारी विश्वविद्यालय का मुख्य विधि परामर्शी होगा। सभी विधिक मामले उसके द्वारा संचालित किये जाएँगे तथा वह विश्वविद्यालय के विधिक हितों का प्रतिनिधित्व विभिन्न न्यायालयों के सभी मामलों में करेंगे।

विश्वविद्यालय यदि उचित समझे तो विधि पदाधिकारी की सहायता के लिए अधिवक्ताओं का एक पैनल नियत फीस पर नियुक्त कर सकेगा।

(10.) जन सम्पर्क पदाधिकारी —जन सम्पर्क पदाधिकारी विश्वविद्यालय के सभी नयाचार कार्यों के लिए, जन सम्पर्क कार्यों के लिए तथा अन्य प्राधिकारों के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए उत्तरदायी होगा तथा कुलपति द्वारा, समय-समय पर, सौंपे गये अन्य कार्यों का भी निष्पादन करेगा।

(11.) इस अधिनियम के प्रावधानों के अध्यक्षीन, धारा-22 के खंड (iii) से (xi) तक में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के पदाधिकारी ऐसे अन्य कर्तव्यों का भी निर्वहन करेंगे जो उन्हें, समय-समय पर, बोर्ड या कुलपति द्वारा विहित या समनुदेशित किए जाएँ।

अध्याय V

आवासीय अनुदेश, शोध एवं शिक्षा विस्तार

28. आवासीय अनुदेश —(1) इस अधिनियम तथा परिनियमों के अध्यक्षीन, विश्वविद्यालय में आवासीय अनुदेश (शिक्षण)में स्नातक, स्नातकोत्तर एवं डॉक्टरेट की डिग्री के कार्यक्रम तथा अल्पकालिक डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कोर्स पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, गव्य प्रौद्योगिकी, मुर्गीपालन एवं मत्स्य उद्योग तथा अन्य यथा विहित सहबद्ध विज्ञान शामिल होंगे।

(2) आवासीय अनुदेश कार्यक्रम आधुनिक पद्धति पर आधारित होगा जिसका उद्देश्य दक्ष तथा व्यवहारोन्मुखी स्नातक तथा स्नातकोत्तर तैयार करना होगा जो पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान, गव्य प्रौद्योगिकी, मत्स्य उद्योग, मुर्गीपालन तथा सहबद्ध विज्ञानों में उत्पादन, प्रबंधन, शोध, शिक्षा प्रसार तथा अध्यापन कार्यों के लिए सक्षम होंगे।

(3) बिहार कृषि विश्वविद्यालय/राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के विद्यमान महाविद्यालय एवं शिक्षण इकाइयों के साथ पशु चिकित्सा एवं पशुपालन, गव्य प्रौद्योगिकी, मत्स्य उद्योग में संबंधित सुविधाओं एवं बजट का अंतरण इस विश्वविद्यालय में उस तिथि के प्रभाव से होगा जो सरकार अधिसूचित करे।

29. शोध —(1) इस अधिनियम तथा परिनियमों के अध्यक्षीन विश्वविद्यालय के शोध कार्यक्रम (मूलभूत एवं एप्लाइड)पशु चिकित्सा व पशुपालन, गव्य प्रौद्योगिकी, मत्स्य उद्योग, व सहबद्ध विज्ञान के क्षेत्रों कीसमस्याओं पर राज्य की ग्रामीण जनसंख्या के लाभ के लिए इन शाखाओं के विकास में सहायता के प्रयोजनार्थ होंगे।

(2) विश्वविद्यालय अपने शोध संगठन के माध्यम से राज्य में पशु चिकित्सा व पशुपालन, गव्य प्रौद्योगिकी, मत्स्य उद्योग और अन्य सहबद्ध विज्ञानकी शखाओं, शोध क्रियाकलापों के नियंत्रण के लिए प्रधान एजेंसी होगा।

(3) विद्यमान शोध संगठन (अनुसूची-1 के अनुसार) प्रायोगिक स्टेशन तथा प्रक्षेत्र के साथ-साथ सुविधाएं व बजट जो सरकारी विभागों में पशु चिकित्सा व पशुपालन, गव्य प्रौद्योगिकी, मत्स्य उद्योग व सहबद्ध विज्ञान से संबंधित हैं, का उस तिथि के प्रभाव से इस विश्वविद्यालय को अंतरित हो जायेगाजो सरकार अधिसूचित करे।

(4) विश्वविद्यालय राज्य में शोध संचालन हेतु विभिन्न कृषि जलवायु प्रक्षेत्रों में क्षेत्रीय/प्रक्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र एवं उप-अनुसंधान केन्द्र स्थापित कर सकेगा।

30. शिक्षा प्रसार —(1) विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रसार कार्यक्रम आरम्भ किया जाएगा तथा, इस अधिनियम एवं परिनियमों के अध्यक्षीन, किसानों एवं अन्य को उपलब्ध शोध के निष्कर्षों पर आधारित सूचनाओं के प्रसार को सुलभ बनाया जाएगा। यह प्रदर्शनों एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करेगा जो छात्र तथा प्रसार कर्मियों, किसानों तथा उद्यमियों के लिए लाभदायक हों। शिक्षा प्रसार कार्यक्रमों का समन्वय विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाइयों तथा राज्य सरकार की दूसरी समुचित एजेंसियों के साथ स्थापित किया जायेगा।

(2) विश्वविद्यालय राज्य में पशु चिकित्सा विज्ञान, पशुपालन, गव्य प्रौद्योगिकी, मत्स्य उद्योग तथा सहबद्ध शाखाओं के विस्तार, जैसा कि उपधारा (1) में उल्लेखित है, के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी गतिविधियों के संचालन हेतु राज्य कर्मियों, सुविधाओं एवं निधियों का अंतरण बोर्ड व सरकार की आपसी सहमति के अनुसार कर सकेगा।

31. शिक्षण, शोध और शिक्षा प्रसार का समन्वय, कृत्य, पाठ्यक्रम तथा सेवाओं का समेकन।—

(1) विश्वविद्यालय के सक्षम पदाधिकारियों के परामर्श से, शिक्षा, शोध एवं प्रसार शिक्षा के पूर्ण समन्वय हेतु यथोचित कदम उठाने के लिए कुलपति उत्तरदायी होगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारियों के माध्यम से इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि विश्वविद्यालय में पशु चिकित्सा व पशु विज्ञान से जुड़े हुए प्राकृतिक, भौतिक तथा सामाजिक विज्ञानों में नई सूचना व तकनीकी के विकास में प्रगति संभव हो तथा इसका अंतरण शैक्षणिक पाठ्यक्रमों एवं अन्य शिक्षा कार्यक्रमों में किया जाय। राज्य भर में उन्हें यथासम्भव समझा तथा अपनाया जा सके।

(3) कुलपति, विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के जरिये यह सुनिश्चित करने हेतु उत्तरदायी होगा कि विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के पाठ्यक्रमों तथा अध्ययनक्रमों (कोर्सों) में उचित अन्तर्संबंध हो जिससे एक ही तरह के कार्यों का विभिन्न संकायों में अनावश्यक पुनरावृत्ति न हो तथा विश्वविद्यालय अपने संसाधनों तथा प्रतिभाओं के आलोक में छात्रों को सर्वोत्तम अध्ययन क्रम (कोर्स) प्रदान करे।

(4) विश्वविद्यालय, राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, अपने शोध और शिक्षा प्रसार का कार्यक्रम विकसित करेगा तथा पशु चिकित्सा विज्ञान, पशुपालन, गव्य प्रौद्योगिकी, मत्स्य उद्योग में विकास के कार्य में लगे सरकारी विभागों तथा सहबद्ध शाखाओं को तकनीकी सहायता तथा सलाह देगा।

अध्याय VI

निधि तथा लेखा

32. विश्वविद्यालय की निधि।—(1) विश्वविद्यालय की एक सामान्य निधि होगी जिसमें निम्नलिखित जमा किये जाएंगे :—

- (i) फीस, सांस्थिक धन, दान, उपहार, धर्मदान, अनुदान, उधार तथा विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों से प्राप्त आय;
- (ii) विश्वविद्यालय की सम्पत्ति यथा छात्रावास, शोध केन्द्रों एवं फार्मों से प्राप्त आय;
- (iii) भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त अंशदान तथा अनुदान;
- (iv) अन्य अंशदान, अनुदान, दान, धर्मदान, ऋण तथा अन्य प्राप्तियाँ;
- (v) विश्वविद्यालय परिनियमों में यथा प्रावधानित ऐसी अन्य निधि सृजित कर सकेगा;
- (vi) सरकार अध्ययन एवं शोध के लिए अतिरिक्त सहायता तथा अनुदान का उपबंध कर सकेगी।

(2) विश्वविद्यालय सरकार द्वारा दिये गए किसी अनुदान से संबंधित लेखा विवरणी, रिपोर्ट एवं अन्य विशिष्टियाँ सरकार को प्रस्तुत करेगा तथा सरकार द्वारा यथानिर्देशित समय के भीतर और यथानिर्देशित रीति से अनुदान के उपयोग के लिए कार्रवाई करेगा और संबंधित लेखा विवरणी, प्रतिवेदन एवं अन्य विशिष्टियाँ प्रस्तुत करेगा।

(3) विश्वविद्यालय अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार से या किसी अन्य राज्य सरकार से या केन्द्र सरकार से या वैधानिक निकायों से धर्मदान या दान, ऐसी शर्तों पर, स्वीकार करने के लिए सक्षम होगा जिसके लिए विश्वविद्यालय और अनुदानदाता या दाता परस्पर सहमत हों।

33. निधि का प्रबंधन।— विश्वविद्यालय की सामान्य निधि, प्रतिष्ठान निधि एवं अन्य निधियों का प्रबंधन परिनियमों द्वारा अधिकथित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

34. लेखा तथा लेखापरीक्षा।— विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा विवरण लेखा नियंत्रक द्वारा तैयार किया जाएगा तथा सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट या प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी तथा प्रमाणित की जाएगी। विश्वविद्यालय द्वारा वित्तपोषित या लाभ के रूप में उद्भूत या प्राप्त सभी धन, चाहे वह किसी भी स्रोत से आया हो, तथा विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान की गयी सभी रकम विवरण में सम्मिलित होगी। ऐसा विवरण बोर्ड द्वारा सामान्यतः संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के भीतर सरकार को समर्पित किया जायेगा।

35 भविष्य निधि, पेंशन और बीमा।—(1) विश्वविद्यालय यथा विहित रीति से तथा यथा विहित शर्तों के अधीन, अपने पदाधिकारियों, शिक्षकों, अनुसचिवीय कर्मचारियों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिए यथोचित, पेंशन, उपादान, बीमा, भविष्यनिधि, अंशदायी पेंशन निधि का गठन करेगा, बशर्तें उससे राज्य की प्रचलित नीति का उल्लंघन नहीं हो।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार गठित पेंशन, उपादान, बीमा और भविष्य निधि के लिए राज्य सरकार यह घोषणा कर सकेगी कि भविष्य निधि अधिनियम के प्रावधान ऐसी निधि पर लागू होंगे मानो यह सरकारी भविष्य निधि हो।

परन्तु विश्वविद्यालय को वित्त समिति तथा बोर्ड के परामर्श से, वह भविष्य निधि की राशि का यथा विनिश्चित रीति से निवेश करने की शक्ति होगी।

36. सरकारी अनुदान।—सरकार हर वर्ष विश्वविद्यालय को निम्नलिखित अनुदान एकमुश्त देगी यथा :—

- (i) पशु चिकित्सा व पशुपालन, गव्य प्रौद्योगिकी, मत्स्य उद्योगकी संस्थाओं तथा अन्य सरकारी एजेंसी/संस्था जो विश्वविद्यालय को अंतरित हुये हों, के क्रियाकलापों पर बिहार राज्य में उपगत वास्तविक व्यय अनूदान:

- (ii) खण्ड (i) से भिन्न गतिविधियों, यथा—विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन और भत्ता, विश्वविद्यालय की आकस्मिक आवश्यकताओं, आपूर्ति और सेवाओं से संबंधित प्राक्कलित शुद्ध व्यय से अन्यून अनुदान;
- (iii) आवर्तक और अनावर्तक व्यय के ऐसे अतिरिक्त मदों को पूरा करने के लिए अनुदान जो योजनाओं के लिए विश्वविद्यालय के उचित कार्य संचालन के लिए, राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझा जाय;
- (iv) राज्य सरकार, पंचवर्षीय योजना में शामिल व्ययगत नहीं होने वाला एक मुश्त अनुदान विश्वविद्यालय को, जो विश्वविद्यालय की वार्षिक योजना के शुद्ध उदव्यय के बराबर हो और विश्वविद्यालय को कार्यन्वायन हेतु पंचवर्षीय योजना में शामिल तथा उसे अंतरित स्कीम के संबंध में हो, दे सकेगी। ऐसी स्कीम सम्पोषित करने वाली केन्द्र सरकार तथा अन्य एजेंसियों से सम्भावित सहायता का समायोजन उसमें किया जा सकेगा।
- (v) राज्य सरकार विश्वविद्यालय के भवन निर्माण एवं भवनों की फर्निशिंग हेतु पूरा खर्च दे सकेगी।
- 37. वित्त समिति।—(1) बोर्ड एक वित्त समिति का गठन निम्नलिखित को मिलाकर करेगा —**

- (i) कुलपति —पदेन अध्यक्ष;
- (ii) वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक पदाधिकारी —सदस्य;
- (iii) पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक पदाधिकारी— सदस्य;
- (iv) निदेशक शोध, निदेशक, शिक्षा प्रसार एवं निदेशक आवासीय अनुदेश — सदस्य;
- (v) बोर्ड का एक नामित व्यक्ति जो बोर्ड का गैर—सरकारी सदस्य हो — सदस्य;
- (vi) वित्त नियंत्रक —पदेनसदस्य—सचिव;
- (2) वित्त समिति के निम्नलिखित कृत्य होंगे :-
- (i) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट प्राक्कलनों की जाँच करना तथा इस पर बोर्ड को सलाह देना;
- (ii) समय—समय पर विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करना;
- (iii) विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित सभी मामलों पर बोर्ड को अनुशंसा करना;
- (iv) विश्वविद्यालय, महाविद्यालय एवं अन्य केन्द्रों/संस्थाओं का लेखापरीक्षा कराना।

अध्याय VII

परिनियम और विनियम

38. परिनियम।— इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय के परिनियम द्वारा विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से जुड़े किसी विषय तथा खासकर निम्नलिखित विषयों के लिए प्रावधान किया जा सकेगा :-

- (i) समय—समय पर यथा गठित विश्वविद्यालय के प्राधिकारों एवं अन्य निकायों का गठन, शक्तियाँ और कर्तव्य;
- (ii) विश्वविद्यालय की अकादमिक गतिविधि में सुधार के लिए आवश्यक या वांछनीय अन्य निकायों या समितियों का गठन, संरचना और कृत्य;
- (iii) कुलाधिपति से भिन्न पदाधिकारियों का पदनाम, उनकी शक्तियाँ, कृत्य, कर्तव्य, नियुक्ति तथा चयन की रीति और सेवा शर्तें;
- (iv) विश्वविद्यालय के शिक्षकों तथा गैर—शिक्षकीय कर्मचारियों का वर्गीकरण, अर्हता और नियुक्ति की रीति, सेवा—शर्तें तथा कर्तव्य;
- (v) कुलपति की सेवा—शर्तें;
- (vi) विश्वविद्यालय के संकायों, विभागों/शोध स्थलों/केन्द्रों अथवा अन्य इकाइयों की स्थापना, आमेलन, विभाजन या समापन;
- (vii) विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों, शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों के हित में पेंशन और बीमा स्कीमों की स्थापना तथा ऐसी स्कीमों की नियमावली, एवं निबंधन एवं शर्तें;
- (viii) डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोहों का आयोजन;
- (ix) मानद डिग्रियों और अकादमिक विशिष्टता प्रदान करना और वापस लेना;
- (x) विश्वविद्यालय के अधीन नियोजित पदाधिकारियों, शिक्षकों और अन्य व्यक्तियों के पद—सृजन एवं उनकी सेवा—शर्तें तथा उन्हें भुगतान किए जाने वाले पारिश्रमिक एवं भत्ते जिसमें यात्रा—भत्ता और दैनिक—भत्ता भी शामिल है ;
- (xi) परीक्षण निकायों तथा परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तें, रीति और कर्तव्य;
- (xii) विश्वविद्यालय द्वारा संस्थापित अथवा संधारित महाविद्यालयों / केन्द्रों / विभागों / क्षेत्रीय केन्द्रों / अन्य संस्थाओं का प्रबंधन;

- (xiii) शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का गठन;
 (xiv) फेलोशिप, स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति, मेडल, पुरस्कार एवं अन्य उत्प्रेरकों को संस्थित करना;
 (xv) सभी अन्य विषय जिनका इस अधिनियमया परिनियमों द्वारा प्रावधान किया जा सके।

39 परिनियम कैसे बनाया जायेगा।—(1) प्रथम परिनियम बोर्ड की अनुशंसा से सरकार के द्वारा बनाया जायेगा।

(2) बोर्ड, समय-समय पर, नया अथवा अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा अथवा इस धारा की उपधारा—(1) में निर्देशित परिनियम को निरसित कर सकेगा :

परन्तु बोर्ड विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार की प्रस्थिति, शक्ति अथवा गठन को प्रभावित करने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनायेगा जब तक कि उस प्राधिकार को प्रस्तावित परिवर्तन पर लिखित रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अवसर न दिया गया हो और उस अभिव्यक्त राय पर बोर्ड के द्वारा विचार नहीं कर लिया गया हो।

(3) प्रत्येक नया परिनियम बनाने या परिनियम में अतिरिक्त प्रावधान करने अथवा उसके संशोधन या निरसन में कुलाधिपति की अनुमति अपेक्षित होगी।

(4) कोई नया परिनियम अथवा विद्यमान परिनियम को संशोधित या निरसित करने वाले परिनियम की तब तक कोई वैधिक मान्यता नहीं होगी जब तक की कुलाधिपति द्वारा अनुमति न दे दी गयी हो :

परन्तु यदि कुलाधिपति सन्दर्भ प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर अपना निर्णय/ अनुमति सूचित नहीं करते हैं, तो समझा जाएगा कि कुलाधिपति ने प्रस्तावित परिनियम, परिनियम में संशोधन या इसके निरसन पर अपनी अनुमति दे दी है।

(5) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी परिनियम राजपत्र में प्रकाशित किये जाएँगे।

40 अध्यादेश बनाने की शक्ति।—यदि राज्य सरकार यह विचार करती है कि कोई आपात् स्थिति पैदा हो गई है जो इस अधिनियम या परिनियमों या विनियमों के अधीन नहीं सुलझायी जा सकती, तो राज्य सरकार, राज्यपाल के अनुमोदन से, अध्यादेश प्रख्यापित कर सकती है।

41. विनियम।—(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकार, इस अधिनियम एवं परिनियमों से संगत विनियम अपने कार्यों और उनके द्वारा नियुक्त समितियों, यदि कोई हो, के कार्यों के संचालन के लिए परिनियमों में, जिनके लिए इस अधिनियम और परिनियमों में प्रावधान नहीं किए गए हों, विहित रीति से बना सकेंगे।

(2) प्राधिकार द्वारा बनाये गये सभी विनियम बोर्ड के अनुमोदन के बाद प्रवृत्त होंगे।

अध्याय VIII

प्रकीर्ण

42. छात्रों का आवासन।—छात्र यथा विहित शर्तों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय द्वारा संधारित या कुलपति द्वारा अनुमोदित आवास में रहेंगे। तथापि कुलपति या विश्वविद्यालय द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी छात्रों को अपने माता-पिता के साथ या निजी आवासों में रहने की अनुमति दे सकेगा जब विश्वविद्यालय के आस पास सुविधा न हो।

43. वार्षिक प्रतिवेदन।— विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन कुलपति के निदेश के अधीन रजिस्ट्रार (अथवा किसी अन्य पदाधिकारी, यदि समनुदेशित किया गया हो) द्वारा सामान्यतः वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह के भीतर तैयार किया जाएगा और बोर्ड के सदस्यों को बैठक के एक माह पूर्व, सूचित किया जाएगा जिसमें उस पर विचारण किया जाना हो। वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार किए जाने के बाद, बोर्ड उसकी एक प्रति सरकार को अग्रसारित करेगा।

44. शक्तियों का प्रत्यायोजन।—(1) बोर्ड परिनियम द्वारा, इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गए परिनियमों के अधीन प्रयोग की जाने वाली अपनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किसी प्राधिकार, विश्वविद्यालय के कुलपति, को उन शर्तों और निर्बंधनों के अध्वधीन कर सकेगा जिसे बोर्ड उचित समझे।

(2) कुलपति इस अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाये गए परिनियम के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रत्यायोजन ऐसी शर्तों एवं निर्बंधनों के अध्वधीन, जिसे वे उचित समझें, किसी पदाधिकारी, महाविद्यालयों/ विभागों/ केन्द्रों/ इकाइयोंके प्रमुख को कर सकेंगे।

45. तदर्थ समितियों का गठन।— इस अधिनियम में किसी बात के होते हुये भी, तथा प्राधिकारों के सम्यक् रूप से गठित होने के समय तक के लिए, कुलपति, बोर्ड के गठन के बाद, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से, इस अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकार की शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों के प्रयोग, संपादन और निर्वहन के लिए अस्थाई रूप से समितियाँ नियुक्त कर सकेंगे।

46. विश्वविद्यालय के प्राधिकारों या निकायों के गठन के संबंध में विवाद।— यदि किसी व्यक्ति के संबंध में कोई प्रश्न उठे कि वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकार या अन्य निकाय में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है या नहीं अथवा वह सदस्य होने का हकदार है या नहीं, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्देशित किया जाएगा जिनका निर्णय उस पर अन्तिम होगा :

परन्तु कोई निर्णय करने के पूर्व कुलाधिपति उससे प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देंगे।

47. विधिक कार्यवाही।— विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध सभी वाद तथा अन्य विधिक कार्यवाही को विश्वविद्यालय की ओर से रजिस्ट्रार द्वारा अथवा कुलपति द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा संस्थित, अभियोजित या बचाव किया जाएगा।

48. विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित पदों पर नियुक्ति।—(1) इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए परिनियमों के प्रावधानों के अधीन, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित सम्यक रूप से सृजित पदों पर और सेवाओं में नियुक्ति, बोर्ड के अनुमोदन से, कुलपति द्वारा की जाएगी :

परन्तु सहायक प्राध्यापक के वेतनमान से निम्नतर वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के संबंध में बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

(2) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी तथा परिनियम बनाए जाने अथवा विश्वविद्यालय के प्राधिकारों का गठन होने तक, विश्वविद्यालय के कार्यकलापों से संबंधित पदों पर और सेवाओं में नियुक्ति, सरकार द्वारा यथा अनुमोदित शर्तों और निर्बंधनों पर, कुलपति द्वारा की जा सकेगी।

49. प्रथम कुलपति की असाधारण शक्तियाँ।— प्रथम कुलपति एक साल अथवा जब तक बोर्ड का गठन नहीं हो, दोनो में जो भी पहले हो, इस नियम या परिनियमों के अनुसार बोर्ड को प्रदत्त सभी या किसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।

50. संक्रमणकालीन उपबंध।—(1) इस अधिनियम में अथवा राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों (बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 एवं राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1971) के अधिनियम में अथवा इन अधिनियमितियों में से किसी के अधीन बनाए गए परिनियम या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी छात्र को, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व किसी महाविद्यालय में पढ़ रहा था, जिसे बिहार कृषि विश्वविद्यालय/ राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाण पत्र के लिए विशेषाधिकार दिया गया हो या इसके बाद दिया जाएगा, इस विश्वविद्यालय के विनियमों के अनुसार —

- (i) बिहार कृषि विश्वविद्यालय/ राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के अनुसार अपनी अध्ययन पाठ्यचर्या पूरी करने की अनुमति दी जाएगी;
- (ii) उसकी परीक्षा इस विश्वविद्यालय द्वारा ली जाएगी और यदि ऐसी परीक्षा के परीक्षाफल में वह अर्हित होता हो, तो वह विश्वविद्यालय की संगत डिग्री या डिप्लोमा या प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने का पात्र होगा;
- (iii) उक्त पाठ्यक्रम को पूरा करने की सामान्य अवधि के दो वर्ष के भीतर उसे परीक्षा में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष में, विभिन्न संकायों और विषयों के सभी पाठ्यक्रमों की विश्वविद्यालय परीक्षा बिहार कृषि विश्वविद्यालय/ राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाएगी और उत्तरवर्ती वर्षों में परीक्षा इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित की जाएगी।

(3) बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम/राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम या उसके अधीन परिनियमों और विनियमों में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के आरंभ के बाद बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना, संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना तथा, डा० कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज के भवन में अवस्थित मत्स्य महाविद्यालय, किशनगंज की सम्बद्धता राज्य के बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर एवं राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से असंबद्ध किया जाएगा और उन्हें इस विश्वविद्यालय का अंगीभूत महाविद्यालय माना जायेगा।

(4) इस अधिनियम के आरंभ होने की अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर के बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना एवं संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना तथा डा० कलाम कृषि महाविद्यालय किशनगंज के भवन में अवस्थित मत्स्य महाविद्यालय, किशनगंज एवं पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना के क्रीड़ा मैदान, आवासीय भवन, छात्रावास, प्रक्षेत्र भूमि, प्रक्षेत्र भवन, जो इन इकाइयों से संबंधित हैं, इस विश्वविद्यालय को अंतरित एवं में निहित हो जायेंगे, परन्तु विश्वविद्यालय किसी भी स्थिति में भूमि को न तो बेच सकेंगे, या न तो किराये पर दे सकेंगे/ न तो पट्टा पर दे सकेंगे। भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार के अधीन होगा।

(5) राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ राजकीय भैंस प्रक्षेत्र, सिपाया, गोपालगंज, सभी चल आस्तियों के साथ, शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध और विस्तार प्रशिक्षण उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएगी, किन्तु भूमि का स्वामित्व राज्य सरकार का होगा।

(6) शोध संस्थानों, अन्य कार्यालयों तथा सरकारी विभागों के संस्थानों के कर्मचारी, जिनकी सेवाएं इकाइयों के साथ विश्वविद्यालय को अंतरित हो गई हों, वे इस विश्वविद्यालय के कर्मचारी माने जायेंगे। ऐसे अंतरित कर्मचारी सरकार के परामर्श से, बोर्ड द्वारा विनिश्चित शर्तों और निर्बंधनों के अनुसार शासित होंगे। इस बात को ध्यान में रखा जायेगा कि उनके मूल सेवा शर्तों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

(7) विश्वविद्यालय बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय पटना के परिसर में उपलब्ध उपयुक्त भवन में अपना प्रवर्तन प्रारम्भ करेगा।

(8) बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पटना तथा संजय गाँधी गव्य प्रौद्योगिकी संस्थान, पटना में नियुक्त व्यक्तियों का अंतरण बजट के साथ इस विश्वविद्यालय को अंतरित हो जाएंगे।

51. आस्तियाँ और दायित्वों का विभाजन।—पशु चिकित्सा विज्ञान, पशुपालन, पशुधन, कुक्कुट, गव्य, मात्स्यकी इत्यादि से संबंधित विद्यमान पशु विश्वविद्यालय को दायित्व।—

इस अधिनियम के आरंभ के ठीक पूर्व विद्यमान विश्वविद्यालयों की कोई भी आस्ति, जो पशु चिकित्सा विज्ञान, पशु विज्ञान, गव्य, मात्स्यकी, से संबंधित है और जिसमें पशु चारा दाना उत्पादन हेतु प्रयुक्त कृषि भूमि शामिल है इस विश्वविद्यालय को अंतरित में निहित हो जायेगी।

स्पष्टीकरण।—इस धारा के प्रयोजनार्थ सभी चल एवं अचल सम्पत्ति, अधिकार, शक्ति, प्राधिकार, विशेषाधिकार एवं उससे उत्पन्न होने वाले सारे अधिकार और हित, जो इस अधिनियम के आरंभ होने के पहले से थे, यथा विद्यमान विश्वविद्यालय या सरकारी विभाग का स्वामित्व, कब्जा, शक्ति या नियंत्रण तथा सभी लेखा बही-खाता पंजियाँ एवं अभिलेख "आस्ति" में शामिल समझे जाएंगे।

52. नियमावली बनाने की शक्ति।—(1) राज्य सरकार उस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने हेतु नियमावली बना सकेगी।

(2) इस धारा के अधीन बनाया प्रत्येक नियम, राजपत्र में प्रकाशन के बाद, यथा संभव शीघ्र राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा।

53. निरसन एवं व्यावृत्ति।—(1) बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1987 (बिहार अधिनियम 8, 1988) एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 (बिहार अधिनियम 12, 2010) पशु विज्ञान, पशुपालन, गव्य तकनीकी, मत्स्य उद्योग के विषयों के लिए तथा अनुसूची-1 में परिगणित संस्थानों के संबंध में, इस अधिनियम की शर्तों के अनुसार उपांतरित समझे जायेंगे।

(2) ऐसा उपांतरण होने पर भी, इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों के अधीन प्रयोग में किया गया कुछ भी या की गई कोई कार्रवाई जहाँ तक वह इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो, इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में या उसके अधीन किया गया अथवा की गई मानी जायेगी, मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन वैसा कुछ किया गया था या वैसी कार्रवाई की गई थी।

परिशिष्ट-1

- I. शिक्षण संस्थान।—
 1. बिहार पशुचिकित्सा महाविद्यालय, पटना।
 2. संजय गाँधी गव्य प्रावैधिकी संस्थान, पटना।
 3. डा० कलाम कृषि महाविद्यालय, किशनगंज के भवन में अवस्थित मात्स्यिकी महाविद्यालय, किशनगंज।
- II. शोध संस्थान/स्टेशन/सबस्टेशन।—
 1. पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना।
 2. विदेशी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, पटना।
 3. केन्द्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, पटना।
 4. राजकीय बकरी प्रजनन प्रक्षेत्र, पूर्णियाँ।
 5. राजकीय पशु प्रक्षेत्र, गया।
 6. राजकीय भैंस प्रक्षेत्र, सिपाया, गोपालगंज।

29 अगस्त 2016

सं० एल०जी०-01-16/2016/170 लेजः।—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 अगस्त 2016 को अनुमत **बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016** का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

संजय कुमार,

सरकार के सचिव।

BIHAR ANIMAL SCIENCES UNIVERSITY ACT, 2016

[BIHAR ACT 15, 2016]

AN

ACT

to establish and incorporate a University for the development of Veterinary Science, Animal Husbandry, Dairy Technology, Fisheries and allied sciences in the State of Bihar.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty Seventh year of the Republic of India as follows:-

Chapter-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent, application and commencement - (1) This Act may be called the "Bihar Animal Sciences University Act, 2016

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar

(3) It shall come into force on such date as it may be fixed by the Government, by notification, in the Official gazette.

2. Definitions - In this Act and all Statutes and Regulations made thereunder, unless otherwise requires in the context :-

- (1) "Academic Council" means the Academic Council of the University;
- (2) "Act" means the "Bihar Animal Sciences University" Act, 2016;
- (3) "Animal" means livestock, poultry, goats, other birds, fish and wildlife;
- (4) "Animal Sciences" means Veterinary Science, Livestock, Poultry, Dairy, Fisheries, Wildlife, Poultry Farming and fields related thereto;
- (5) "Associate Director" means Associate Director of Research & Extension posted in Headquarter of the University or in its Zonal / Regional Station.
- (6) "Authority" means any authority of the University as specified in this Act;
- (7) "Board" means Board of Management of the University;
- (8) "College" means a constituent college of the University under its direct control and management whether located at the headquarter campus or elsewhere;
- (9) "Chancellor" means Chancellor of the University;
- (10) "Financial Comptroller" means Comptroller of the University;
- (11) "Principal" means the head of the constituent college of the University and includes, where there is no principal, the person duly appointed to act as the principal for the time being and, in the absence of the principal or the acting principal, as the case may be, a vice-principal duly appointed as such;
- (12) "Dean of the Faculty" means Dean of the subject matter faculty and the Faculty of Post Graduate studies;
- (13) "Director" means Director of Resident Instruction, Director of Research and Director of Extension Education;
- (14) "Education Extension Council" means Education Extension Council of the University;
- (15) "Faculty" means Faculty in the University as specified in the Act and the Statutes
- (16) "Farm" means livestock, poultry, dairy, fishery farms including fodder farms
- (17) "Government" means Government of the State of Bihar
- (18) "Governor" means the Governor of the State of Bihar.
- (19) "Head" means Head of the Department of the University;
- (20) "Hostel" means a place of residence for students of the University maintained or recognized by the University either as a part of or separate from University;
- (21) "Livestock" means cattle, Cow, buffalo, goat, sheep, horse, pig, pets and other domestic animals;
- (22) "Officer" means an officer of the University as specified in this Act, or other person (s) in the employment of the University declared as officer by the statutes.
- (23) 'Ordinance' means the ordinances of the University for the time being in force.
- (24) "Prescribed" means prescribed under the Act or the statutes/ regulations of the University;
- (25) "Registrar" means Registrar of the University;

- (26) "Regulations" means the regulations made under this Act;
- (27) "Research Council" means Research Council of the University;
- (28) "Statutes" means the statutes made under this Act.
- (29) "Student" means the person enrolled in the constituent College/ Faculty of the University for taking a course of study for a degree, diploma or other academic distinction duly instituted;
- (30) "Teacher" means a person not below the rank of Assistant Professor appointed or recognized by the University for the purpose of imparting education and / or conducting and guiding research and / or extension education programmes, and may include any other person who may be declared by the statutes to be a teacher with minimum prescribed qualifications;
- (31) "University" means the "Bihar Animal Sciences University" as constituted under this Act;
- (32) "Vice-Chancellor" means Vice-Chancellor of the University;
- (33) "Veterinary" means the art and science related to animal health treatment and prevention of animal diseases;
- (34) "Regional Station" means Regional station of the University;
- (35) "Zonal Station" means zonal Station of the University.

Chapter-II

THE UNIVERSITY

3. Establishment and Incorporation of the University - (1)(i) An University called the "Bihar Animal Sciences University" shall be established with effect from the date which may be notified by the State Government, by notification, in the official gazette.

(ii) All colleges, research and experimental centres, animal science centre or other Institutions mentioned in Schedule-1 shall be its constituent units under the full management and control of its officers and authorities and no such units shall be recognized as affiliated units. The State Government shall have power to add or remove any institution to/from Schedule-1.

(2) The University shall comprise of a Chancellor, a Vice-Chancellor, a Board of Management and Academic Council and such other authorities and officers as provided in this Act or in the statutes.

(3) The University subject to the provisions of this Act shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal and shall sue and be sued by its name.

(4) The University shall be competent to acquire and hold property, both movable and immovable to lease, sell or otherwise transfer any movable or immovable property which have been vested in or have been acquired by it for the purpose of the University, and to take grants to borrow money from and to contract with any Body Corporate approved by the Central Government, State Government and to do all other necessary works for the purpose of this Act:

Provided that the University shall not lease, sell or otherwise transfer any immovable property transferred to the University by the State Government without prior approval of the State Government.

(5) The Headquarters of the University shall be at Patna, Bihar.

4. Territorial Jurisdiction - (1)With respect to teaching at the University or College level, research and extension education programmes in the field of Veterinary and Animals

Science as defined in this Act, the territorial jurisdiction and responsibility of this University shall extend to the whole of the State of Bihar.

(2) The University may establish, operate, maintain and develop Teaching Centres, Educational Centres, Research and Experimental Centres, and Extension Education Training Centres in the field of Veterinary, Animal Husbandry, Fishery, Poultry, Dairy Technology and allied subjects as may be required in various parts of the State, and shall be responsible for its management, development and operations.

(3) All colleges, research and experimental centres, or other institutions coming under the jurisdiction and authority of this University shall be as constituent units of the University under the full management and control of the University officers and authorities. No unit shall be recognized as an affiliated unit.

(4) The University may work having collaboration in teaching and research programmes, multi-disciplinary approach and academic programmes with other Universities, including foreign Universities or reputed and approved institutes.

5.Objectives of the University - The following are the objectives of the University :-

- (i) To make arrangement for giving education in different branches of study, particularly Veterinary Science & Animal Husbandry, Poultry, Fisheries, Dairy and other allied branches of learning and scholarship;
- (ii) To further the advancement of learning and conducting of research, particularly in Veterinary & Animal Sciences and other allied sciences;
- (iii) To undertake the extension of education of such sciences and technologies that are relevant for the rural people of the State;
- (iv) To facilitate and ensure qualitative improvement in the teaching and learning processes and methodology;
- (v) To facilitate and ensure quality research in the contemporary and frontier areas of animal science and technologies;
- (vi) To facilitate the need for an organized process of life long learning;
- (vii) To disseminate knowledge and findings emerging in the University, its colleges, and institutions;
- (viii) To establish partnerships with the industries and other entities working in animal science and technology and agriculture manufacturing;
- (ix) To establish Hospital for treatment/ research-role of the University.
- (x) Such other purposes as the University or Government may from time to time determine.

6. Admission to the University - (1) The University shall, subject to the provisions of this Act and the statutes, be open to all persons irrespective of caste, race, religions or class.

Provided that nothing in this section shall require the University to admit to any course of study any person who does not meet the prescribed academic standards for admission or to retain on the rolls of the University persons whose academic records are below the minimum standard required for the award of a degree or whose personal conduct is such as to be inimical to the purpose of the University or to the appropriate rights and privileges of other students and staffs:

Provided further that nothing in this section shall be deemed to require the University to admit to any course of study larger number of students than can be accommodated in the available faculties of the University or of any particular college or Department as determined by the Academic Council.

(2) Subject to the provisions under sub section (1), the University shall reserve seats for scheduled castes, scheduled tribes and other categories specified by the Government, provided that such person shall have the qualifications and standards prescribed for that category.

7.Powers and functions of the University -There will be following powers and functions of The University :-

- (i) To provide for undergraduate and postgraduate instructions in Veterinary and Animal Science & Technology as defined and other allied branches of learning as the University may deem fit;
- (ii) To provide for conduct of research in Veterinary and Animal Science & Technology and allied branches of learning;
- (iii) To provide for dissemination of the findings of research and technical information through an extension education programme;
- (iv) To institute courses of study and hold examinations for and confer degrees, diplomas and other academic distinctions on persons who have pursued a prescribed course of study or research or both in the University including part courses and / or research carried out in any other University or recognized institutions for the purpose;
- (v) To confer honorary degrees and other distinctions as may be prescribed;
- (vi) To provide training for field workers, village leaders and other persons not enrolled as regular students of the University;
- (vii) To collaborate with other Universities and institutions in such manner and for such purposes as the University may determine, subject to the limitations set forth in sub-section (4);
- (viii) To establish and maintain colleges, schools, centres, departments and institutions relating to veterinary sciences, animal husbandry, fisheries, dairy technology, poultry and allied sciences;
- (ix) To establish and maintain laboratories, veterinary clinics, farms, libraries, research stations and institutions and museums for teaching, research and extension education;
- (x) To create teaching, research and education extension posts and to appoint competent persons to such posts subject to prior approval of State Government;
- (xi) To create administrative and other posts and to appoint competent persons to such posts subject to prior approval of State Government;
- (xii) To institute and award fellowship, scholarships, stipends and prizes in accordance with the statutes;
- (xiii) To institute and maintain residential accommodations for students and staff of the University;
- (xiv) To fix and receive such fees and other charges in such manner as may be prescribed;
- (xv) To supervise and control the residence, conduct and discipline of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and welfare;
- (xvi) To appoint, on contract or otherwise, Visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants, Scholars and such other persons who may contribute to the advancement of the objects of the University;

- (xvii) To determine the service conditions of all categories of staffs, including their code of conduct;
- (xviii) To determine standards of admission, including the examinations, evaluation or any other method of testing for the University and constituent colleges of the University;
- (xix) To receive benefactions, donations and gifts and to acquire, hold, manage and dispose off any property, movable or immovable, including trust and endowment properties for the purpose of the University:
Provided that no immovable property shall be disposed off except with the prior approval of the State Government;
- (xx) To lend and borrow with the approval of the Board and in the matters related to borrowing money for the purpose of the University on the security of the property of the University prior approval of the State Government shall be obtain;
- (xxi) To initiate measures to enlist co-operation of industries and Government to provide complementary facilities;
- (xxii) To further entrepreneurial ability among its teachers and students;
- (xxiii) To educate the public with regard to the requirement of opportunities in the profession of animal science and technology;
- (xxiv) To do all such works whether incidental to the powers aforesaid or not, in order to further the objects of the University;

8. Powers and Functions of the Chancellor-There will be the following powers and functions of The Chancellor :-

- (i) The Governor of Bihar, shall be the ex-officio Chancellor of the University;
- (ii) The Chancellor shall preside ever the convocation function of the University in case of being available;
- (iii) Award, Honorary Degree or Privileges shall be conferred only after the approval of the Chancellor;
- (iv) Without prejudice to other provisions of this section the Chancellor may by order in writing annual any proceeding of the University Authority or an officer which is not in conformity with this Act, statute or the ordinances:
Provided that before making any such order the Chancellor shall call upon, Authority or the concerned officer of the University to show cause why such an order should not be made, and, if any cause is shown within a reasonable time it shall be considered by The Chancellor.
- (v) The Chancellor shall have such other powers as may be prescribed in the Act or by the Statute.
- (vi) The Chancellor shall have the right to cause an inspection to be made, by such person or persons as he may direct, of the University, its buildings, laboratories, libraries, museums, farms, workshops and equipments and any institution, college or hostel maintained or administered by the University, of the teaching and other work conducted by the University or under its auspices and of the conduct of any other functions of the University and to cause an enquiry to be made in respect of any matter connected with administration and finances of the University.
- (vii) The Chancellor shall, in every case, give due notice to the University or the Board of his intention to cause an inspection or enquiry to be made, and the

- University or the Board, as the case may be, shall on receipt of such notice, have the right to make such representation to the Chancellor, as it may consider necessary, within such period as specified in the notice.
- (viii) After considering the representation, if any, made by the University or the Board or any other institution, the Chancellor may make such inspection or inquiry as referred to in sub section (1).
- (ix) Where an inspection or inquiry is conducted by the Chancellor, the University or the Board shall be entitle to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.
- (x) The Chancellor shall communicate to the University or the Board with reference to the result of such inspection or inquiry along with his views thereon and such advice as the Chancellor may be pleased to offer upon the action to be taken thereon, and may, after obtaining the opinion thereon of the University, advice or direct the University to take necessary action fixing a time limit;
- (xi) The University shall, within the time limit so fixed, report to the Chancellor the action which has been taken or is proposed to be taken on the advice tendered by the Chancellor.
- (xii) The Chancellor may, where action has not been taken by the University to the satisfaction of the Chancellor within the time limit fixed and after considering any explanation furnished or representation made by the University, issue such directions as the Chancellor may think fit and the University shall comply with such directions.
- (xiii) Notwithstanding anything contained in the preceding sub-sections of this section, if at any time the Chancellor is of the opinion that no accurate action is being taken in any of the matters of the University or not being taken in view of the provisions of this Act, and the statutes and regulations or the special measures desirable to maintain the standards of university teaching, examination, research or extension, he may issue show cause to the University and call upon the University to offer such explanations, within such time as may be specified by the Chancellor. If the University fails to offer any explanation within the time specified or offer an explanation which, in the opinion of the Chancellor, is unsatisfactory, the Chancellor may issue such instructions as appear to him to be necessary and desirable in the circumstances of the case and may exercise such powers as necessary for giving effect to those instructions.
- (xiv) The University shall furnish such information relating to its administration to the Chancellor as it may be required by him.

Chapter-III

AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

9. Authorities of the University - The following shall be the authorities of the University namely :-

- (1) Board of Management;
- (2) Academic Council;
- (3) Research Council;
- (4) Extension Education Council;

- (5) Faculties including faculty of Post-graduate studies and their Board of studies;
- (6) Such other bodies of University as may be declared by the Statutes to be authorities of University.

10. Board of Management and its Constitution - (1) The Chancellor shall as soon as possible, after the first Vice-Chancellor is appointed, constitute the Board of Management.

(2) The Board of Management shall be the Chief Executive body of the University and shall consist of the following :-

- (i) The Vice-Chancellor;
 - (ii) Principal Secretary / Secretary, Department of Animal and Fisheries Resource of the State Government;
 - (iii) Principal Secretary / Secretary, Finance Department of the State Government or his nominee;
 - (iv) Principal Secretary / Secretary, Deptt. of Agriculture of the State Government;
 - (v) Director, Animal Husbandry, Department of Animal & Fisheries Resource of the State Government;
 - (vi) Director, Fisheries, Department of Animal & Fisheries Resource of the State Government;
 - (vii) Director, Dairy Development, Department of Animal & Fisheries Resource of the State Government;
 - (viii) Two eminent educationists / scientists from the field of Veterinary and Animal Sciences to be nominated by the Chancellor;
 - (ix) One progressive farmer from the jurisdiction of the University to be nominated by the State Government;
 - (x) One distinguished agro-industrialist to be nominated by the State Government;
 - (xi) One outstanding woman social worker having background of rural advancement to be nominated by the State Government;
 - (xii) One representative from the Indian Council of Agricultural Research either from Education or Animal Science Division to be nominated by the Council;
 - (xiii) One Director in rotation to be nominated by the Vice-Chancellor;
 - (xiv) One Dean faculty in rotation to be nominated by the Vice-Chancellor;
 - (xv) Registrar.
- (3) The Vice-Chancellor shall be the ex-officio Chairperson and the Registrar non-member-Secretary to the Board.
 - (4) The term of the office of the members of the Board other than the ex-officio members shall be three years.
 - (5) When a vacancy occurs in the office of any member by the reason of death, resignation or any cause other than the expiry of the term, the vacancy shall be filled in accordance with the provisions of this section and the person who fills such vacancy shall hold office for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.
 - (6) No action or proceedings of the Board shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy in the Board or defect in its constitution.

- (7) Quorum will be present with the presence of one third members of the Board at a meeting of the Board:
Provided that if a meeting of the Board is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting called for transacting the same business.
- (8) The members of the Board other than the officers of the University and Bihar Government who are member of the Board, shall be entitled to such daily and travelling allowances and honorarium as may be determined by the Board of Management.
- (9) No officer or other employee of the University shall be eligible to be a member of the Board under clause (v) to (ix) of sub-section (2) of this section.
- (10) The Board for the purpose of consultation may invite any person having experience or special knowledge on any subject under consideration to attend its meeting. Such person may put on his views in the meeting or otherwise take part in the proceedings of such meeting but shall not be entitled for voting right. Any person so invited shall be entitled to such allowances for attending the meeting as may be prescribed.
- (11) Normally the Board shall meet definitely once in every three months on dates to be fixed by the Vice-Chancellor. However, Vice-Chancellor may whenever, he thinks fit and shall, upon the requisition in writing and signed by not less than five members of the Board, convene as special meeting of the Board.

11. Power and Functions of the Board - (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Board shall be the Chief Executive Body of the University and shall manage and supervise the properties and activities of the University and shall be responsible for the conduct of all administrative affairs of the University not otherwise provided for in this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers under the provisions of sub-section (1) the Board shall exercise and perform the following powers and functions:-

- (i) to consider and approve the financial requirements, estimates and the budget of the University;
- (ii) to hold and control the property and the funds of the University and issue any general directive on behalf of the University
- (iii) to accept or transfer any property on behalf of the University
- (iv) to administer funds placed at the disposal of the University for the purpose intended
- (v) to arrange for the investment and withdrawal of the funds of the University
- (vi) to borrow money for capital investments with prior approval of the State Government and make suitable arrangements for its repayment
- (vii) to accept on behalf of the University trusts, bequests and donations
- (viii) to consider and approve the recommendations of the Academic, Research and Education Extension Councils where required

- (ix) to direct in respect to the form and use of the common seal of the University
- (x) to appoint such committees and bodies as it may deem necessary and determine the terms of reference their context in accordance with the provisions of this Act and the Statutes
- (xi) to consider and approve the establishment of a new Department, Centre or Research Station / sub-station or abolition of any one thereof or otherwise reconstitution of Department, Research Stations or centre on the recommendation of the Academic Council.
- (xii) to consider and approve establishment of a new college or faculty, amalgamation of two or more colleges or faculties into a single college or faculty or abolition of a college or faculty or reconstitution of any of the existing faculties on the recommendation of the Academic Council
- (xiii) to approve the recommendations for appointment of officers/officials of the University and teachers of the rank of Associate Professor and above in the prescribed manner.
- (xiv) creation of various posts in the University and its Colleges, institutions and centres.
- (xv) To perform such other functions as may be assigned to it by Statutes.

12. Academic Council - (1) Academic Council shall consist of the following members :-

- (i) The Vice-Chancellor, Ex-officio Chairperson;
- (ii) The Directors of Resident Instruction, Research and Education Extension;
- (iii) The Deans of the various faculties and Principals of colleges;
- (iv) The University Librarian-cum-Information Officer;
- (v) Student welfare officer;
- (vi) One Head of the Department from each faculty nominated by the Vice-Chancellor on rotation basis
- (vii) One Associate Director Research or Extension to be nominated by the Vice-Chancellor on rotation basis
- (xiii) All Chairmen -cum-Professors of the University
- (ix) One Assoc. Professor from each faculty to be nominated by the Vice-Chancellor on rotational basis and in the prescribed manner.
- (x) One eminent educationist in the field of Animal Sciences and allied subjects from outside the University to be nominated by the Vice-Chancellor with the approval of the Board.
- (xi) Registrar as member-secretary.

(2) Academic Council may co-opt as members not more than four person for such period and in such manner as may be prescribed so as adequate representation of different sectors of Animal Science and allied fields may be ensured.

(3) All members of the Academic Council except the ex-officio members and members referred in sub-section (2) shall hold office for a term of two years.

(4) Quorum will be present with presence of one third of the members of the Academic Council at the meeting of the Council:

Provided that if a meeting of the Council is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting called for transacting the same business.

(5) Normally the Academic Council shall meet once in every four months on such date as may be fixed by the Vice-Chancellor. However, special meetings of the Academic Council may be called by the Vice-Chancellor.

13. Powers and Functions of the Academic Council - (1) The Academic Council shall subject to the provisions of this Act and the Statutes, have powers to determine by regulations, all courses of Study and curricula, and shall have control on teaching and other educational programmes within the University, and shall be responsible for the maintenance of standards thereof.

(2) The Academic Council shall have power to make regulations consistent with this Act and the Statutes relating to all academic matters subject to its control and to amend or repeal such regulation.

(3) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers; the Academic council shall have the following powers :-

- (i) to advise the Board and Vice-Chancellor on all academic matters including the control and management of libraries;
- (ii) to make recommendations for the institution of professorships, associate professorships, assistant professorships and other teaching posts including posts in research and education extension and in regard to the duties thereof;
- (iii) to make recommendations for the constitution or reconstitution of departments / faculties of teaching, research and education extension;
- (iv) to make regulations regarding the admission of students to the University; and determine the number of students to be admitted;
- (v) to make regulations relating to the courses of study leading to degrees, diplomas and certificates;
- (vi) to make regulations relating to the conduct of examinations and to maintain and improve standards of education;
- (vii) to make recommendations to the Board regarding conferment of honorary degree;
- (viii) to make recommendations regarding the qualifications to be prescribed for teachers in the University;
- (ix) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed on it under the provisions of this Act, by the Board or Vice-Chancellor;

14. Research Council - (1) There shall be a Research Council consisting of the following members :-

- (i) The Vice-Chancellor;
- (ii) The Directors of Animal Husbandry / Dairy/ Fisheries, Director Agriculture / Chief Conservator of Forests (depending upon nature of research programmes of the University) of Government of Bihar;
- (iii) All Directors of the University;
- (iv) All Deans of the Faculties;
- (v) All Associate Directors Research & Extension;

- (vi) All Head of the Departments , University Professors and the Chairmen of the Centres;
- (vii) Two eminent scientists in the field of Animal Sciences and allied subjects from outside the University to be nominated by the Vice-Chancellor subject to approval of the Board;
- (viii) Research Council may coopt as members not more than four persons for such period and in such manner as may be prescribed so that adequate representation of different sectors of Animal Sciences and allied fields may be ensured.

(2) Vice-Chancellor shall be ex-officio Chairperson and Director Research shall be its Member-Secretary.

15. Functions of Research Council - (1)The Research Council shall consider and make recommendations in respect of the followings :-

- (i) research programmes and projects undertaken or to be undertaken by the various University units in the State in the field of Veterinary Science and Animal Husbandry, Dairy Technology, Fisheries, Poultry and other allied Sciences with a view to promote effective co-ordination;
- (ii) To give physical, fiscal and administrative facilities required for implementing research projects;
- (iii) To make useful orienting research to meet for the farmers' needs;
- (iv) To consolidate integration of research, extension education and teaching and participation of research workers in teaching and to ensure participation in education extension programme;
- (v) any other matter pertaining to research programmes which may be referred by the Vice-Chancellor or the Board or any other authority of the University.

16. Extension Education Council - (1) There shall be an Education Extension Council consisting of the following members :

- (i) Vice-Chancellor;
- (ii) Directors of Animal Husbandry / Dairy / Fisheries of Government of Bihar;
- (iii) All Directors of the University;
- (iv) All Deans of the Faculties;
- (v) All Heads of the Departments / Regional Research Stations / Colleges / Centres;
- (vi) Two eminent persons of the field of Education Extension from outside nominated by the Vice-Chancellor for any particular meeting in accordance with the requirement of the agenda;
- (vii) Three progressive farmers having specialization in general Animal Husbandry, Fisheries and other allied branches to be nominated by the Vice-Chancellor for their specialized knowledge and experience;
- (viii) One representative each of the under mentioned organizations as per request of the Vice-Chancellor _
 - (a) Rural Development Department;
 - (b) Co-operative Department;

- (c) Any other Agro-Industries or Agro-Service Organizations/ Corporations;

(2) Vice-Chancellor shall be ex-officio Chairperson and Director Education Extension Member Secretary.

17. Functions of the Extension Education Council - (1) Education Extension Council shall consider and make recommendations in respect of the following :-

- (i) The Education Extension Programmes and Projects of the University;
- (ii) Co-ordination of Extension Education activities for improvement of Animal Husbandry and allied branches and for the development of Rural communities;
- (iii) Development of Farmers' Education and Training and Advisory Services, identification and resolution of field problems and transmission of informations;
- (iv) Methodology of Education Extension;
- (v) Integration of Education Extension with teaching and research in the University and ensure the participation of teachers and research workers in Education Extension programmes;
- (vi) Any other matter referred to it by the Vice-Chancellor, Board or any other authority of the University.

18. Faculties and its Board of Studies - (1) The University shall have initially the faculties of, Veterinary Science & Animal Husbandry, Dairy Technology, Fisheries, Poultry and Post-Graduate Studies and such other faculties as may be later prescribed by the statutes.

(2) Each faculty shall have a Dean, who shall be appointed in such manner as may be prescribed in statutes.

(3) These faculties shall comprise of such department / centres as may be prescribed. However, depending on the nature of the subject and functions, one department / centre may cater to the needs of more than one faculty.

(4) Each faculty shall consist of such members as may be prescribed. Dean of the concerned faculty will be the Chairperson

(5) The functions of each faculty shall be the following :-

- (i) To revise teaching programmes and suggest for improvement thereof
- (ii) To consider the recommendations of the respective Board of studies and to place the same before the Academic Council for consideration and approval
- (iii) Faculties of the Subject matter shall be responsible for Bachelor degree programme while Faculty of Post-Graduate Studies shall be responsible for Post-Graduate and Doctoral degree programme.
- (iv) Such other functions as may be assigned to it by the Academic council or Vice-Chancellor.

(6) There shall be Board of Studies of each faculty; the constitution of which shall be made such manner as it may be prescribed. Dean Faculty shall be its Chairperson.

(7) Followings shall be the functions of the Board of Studies:-

- (i) To propose the instructions to the faculty concerned, the Courses of study and curricula for various educational programmes offered by the faculty

- (ii) To perform such other functions as may be directed by the concerned faculty, other authorities and Vice-Chancellor

19. Constitution of Committees - Every authority shall have the power to appoint committees which may unless otherwise provided in this Act or Statutes consist of the members of the authority and such other persons as it may deem eligible.

20. Provisions in relation to membership of authorities - (1) Save as otherwise provided in this Act if any member other than ex-officio member of any authority or body of the University is unable by reason of his death, resignation, removal or otherwise, to complete his full term of office, the vacancy so caused shall, as soon as convenient, be filled by the appointment, nomination or co-option, as the case may be and the person so appointed, nominated or co-opted shall fill such vacancy for the un-expired portion of the term of the member, in whose place such person is appointed, nominated or co-opted, would otherwise have continued in office.

(2) The Board may remove any person from membership of any authority or body of the University on the ground that such person have been convicted of any offence involving moral turpitude or conduct not befitting the office held by the concerned member with the approval of the Chancellor, but prior approval of the Chancellor shall not be necessary where such a person has been convicted by a competent court of laws:

Provided that no such order shall be made against any person without giving reasonable opportunity of being heard.

(3) A person who is a member of any authority or body of the University as a representative of another body whether of the University or not shall cease to be a member of such authority or body if before the expiry of the term of his membership he ceases to be a member of that other body by which he was appointed or nominated.

(4) Whenever any person becomes a member of any authority or body of the University by virtue of the office held by him, he shall forthwith cease to be a member of such authority or body if he ceases to hold such office before the expiry of the term of his membership.

Provided that he shall not be deemed to have ceased to hold his office merely by reason of his proceeding on leave for a period not exceeding four months.

(5) Any member, other than an ex-officio member of any authority or body of the University may resign his office by letter addressed to the Vice-Chancellor and such resignation shall take effect from the date on which the same is accepted by the authority competent to fill the vacancy or on the expiry of three months from the date of its receipt by the Vice-Chancellor, whichever is earlier.

21. Validity and Protection of the acts - (1) No act or proceeding of any authority or body of the University shall be invalid by reason of the existence of any vacancy among its members or by reason of some person having taken part in the proceedings who is subsequently found to have been not entitled to do so.

(2) Save as otherwise provided in this Act, all the acts done or orders made in good faith by the University or any of its authorities shall be final and no suit shall be instituted against or damages claimed from the University or its authority for anything done or purported to have been done in pursuance of this Act or the Statues or the Regulations.

(3) No suit or other legal proceedings shall lie against any officer or other employee of the University in respect of anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or any Statues made thereunder.

Chapter-IV

OFFICERS OF THE UNIVERSITY

22. Officers - The following shall be the officers of the University namely :-

- (i) The Vice-Chancellor;
- (ii) The Director Resident Instruction;
- (iii) The Director of Research;
- (iv) The Director of Education Extension;
- (v) The Deans of the Faculties;
- (vi) The Registrar;
- (vii) The Finance Comptroller;
- (viii) The University Librarian-cum-Information Officer;
- (ix) The Student's Welfare Officer;
- (x) Law Officer;
- (xi) Public Relation Officer;
- (xii) Such other persons in the service of the University as may be declared by the Statutes to be the Officers of the University.

23. The Vice-Chancellor - (1) (i) Persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment are to be appointed as Vice-Chancellor. The Vice-Chancellor to be appointed should be a distinguished academician, in Animal Sciences and Technology with a minimum of ten years of experience as Professor in a University system or ten years of experience in an equivalent position in a reputed research and/or academic administrative organization.

(ii) The selection of Vice-Chancellor should be through proper identification of a panel of 3 names by a Search Committee through a public notification. The members of the above Search Committee shall be persons of eminence in the sphere of higher education and shall not be connected in any manner with the University concerned or its colleges. While preparing the panel, the search committee must give proper weightage to academic excellence, exposure to the higher education system in the country and abroad, and adequate experience in academic and administrative arena to be given in writing along with the panel to be submitted to the Chancellor.

Vice-chancellor will be appointed by the Chancellor in an effective and meaningful consultation with the state govt. from the panel of minimum three persons (names arranged in alphabetical order) recommended by the committee constituted under subsection(iii) of this section but if the Chancellor does not approve any of so recommended persons, he may call for new recommendations in consultation with the government.

(iii) The Search Committee shall be constituted by the following manner :-

- (a) A member of Chief Secretary rank nominated by the State Government who shall preside over the meeting of search committee as Chairman
- (b) A member nominated by the Chancellor, who shall be an eminent Scholar/Academician of national repute or (ICAR award) in the field of education or Veterinary & Animal Science.
- (c) The Director or Head of an institute or organization of national repute, related to Animal Husbandry/Fisheries/Dairy Technology or Vice-Chancellor of a statutory University nominated by the Chancellor as member.

(2) The first Vice-Chancellor shall be appointed by the Government till the sub-sections 1 (ii) and 1 (iii) become operational.

(3) The first Vice Chancellor shall hold office for a term of five years and extendable for two more years from the date on which he enters upon his office and be eligible for the appointment for the next term and maximum age limit will be 70 years. Subsequent Vice-Chancellor shall hold office for a term of three years or till he attains the age of 70 years which ever is earlier:

Provided that the State Govt. may require the Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year or as may be specified by the Government.

(4) The emoluments and other conditions of service of the Vice Chancellor shall be as prescribed by Statutes;

(5) If the office of the first Vice Chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the State Government shall have the authority to appoint Vice Chancellor for the residual term.

24. Removal of the Vice-Chancellor - (1) If at any time and after such inquiry as may be considered necessary, it appears to the Chancellor that the Vice-Chancellor

- (i) has failed to discharge any duty imposed upon him by or
 - (ii) has acted in a manner detrimental and prejudicial to the interest of the University or
 - (iii) has been incapable of managing the affairs of the University or acted in a manner suggestive of misbehavior, the Chancellor may, notwithstanding the fact the term of office of the Vice-Chancellor has not expired, require the Vice-Chancellor by reasoned order in writing after consultation with the State Government, may require to resign his post from the date as may be specified in the order.
- (2) No order under sub-section (1) shall be passed unless a notice stating the specific grounds on which such action has been proposed has been served for a reasonable opportunity to show cause against the proposed order, has been given to the Vice-Chancellor.
- (3) On and from the date specified in the sub-section(1) of this section it shall be deemed that the Vice-Chancellor has resigned his post and the office of the Vice-Chancellor shall be deemed vacant.

25. Powers and Duties of Vice-Chancellor - (1) The Vice-Chancellor shall be the principal executive and academic officer of the University and ex-officio Chairperson of the Board, Academic Council and other authorities and shall in the absence of the Chancellor preside at the convocation of the University and confer degrees on persons entitled to receive them.

(2) The Vice-Chancellor shall convene the meetings of the Board, Academic Council, Research Council and Education Extension Council.

(3) The Vice-Chancellor shall exercise general control over the affairs of the University and shall be responsible for due maintenance of discipline in the University.

(4) The Vice-Chancellor shall ensure faithful observance of the provisions of this Act and Statutes and Regulations.

(5) The Vice-Chancellor shall be responsible for the presentation of the annual financial estimates and the annual accounts and balance sheet to the Board of Management.

(6) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report to such authority at its next meeting the action taken by him on such matter:

Provided that such exercise of power shall be made only in emergent situation in no case in respect of creation and upgradation of posts an appointment thereto and emoluments thereof:

Provided further that if the authority concerned is of the opinion that such action ought not to have been taken by the Vice-Chancellor it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final:

Provided also that if any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice-Chancellor shall have the right to appeal against such action to the Board within three months from the date on which decision on such action is communicated to him and thereupon the Board may confirm, modify or reverse action taken by the Vice-Chancellor.

(7) The Vice-Chancellor, if he is of the opinion that any decision of any authority of the University is beyond the powers of the authority conferred by the provisions of this Act, the Statutes, the Regulation or that any decision taken is not in the interest of the University, may ask the authority concerned to review its decision within sixty days of such decision and if the authority refuses to review the decision either in whole or in part or no decision is taken by it within the said period of sixty days, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

(8) Where any action taken by the Vice-Chancellor under sub-section (7) affects any person in the service of the University to his disadvantage such person may prefer an appeal to the Board within thirty days from the date on which such person has been served with a notice of the action taken.

(9) Subject to the provisions of the preceding sub-sections the Vice-Chancellor shall give effect to the decisions of the Board regarding the appointments, promotions and dismissal of officers, teachers and other employees of the University

(10) The Vice-Chancellor shall be responsible for the proper administration of the affairs of the University and for a close co-ordination and integration of teaching, research and education extension.

(11) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other duties as are conferred or imposed upon him under the provisions of this Act and the Statutes.

26. Other officers of the University - General Terms & Conditions:-The officers of the University referred to in clause (iii) to (xi) of section 22 shall be appointed by the Vice-Chancellor with the approval of the concerned authority of the University on such terms and conditions as may be prescribed.

Provided that the Vice-Chancellor may make appointments of such officers as a temporary measure for a period of six months under intimation to the concerned authority of the University.

27. Directors, Dean, Registrar, Financial Controller etc.- (1) **Director, Resident Instruction :** There shall be a Director of Resident Instruction who shall be responsible for

direction and co-ordination of inter-faculty and inter-campus residential instructional programmes and for maintenance and improvement of standard of teaching at all levels of under graduate and post-graduate studies. He will be concerned with the policy matters and system regarding residential instructions in the University and development of educational technology and teacher's training programme. He shall also function as Dean, Faculty of Post-graduate Studies.

(2) **Director, Research** - There shall be a Director of Research who shall be responsible for the direction and co-ordination of research programmes in the University as laid down in section 30 and efficient working of research stations.

(3) **Director, Education Extension** - There shall be a Director of Education Extension who shall be responsible for the Veterinary and Animal Science Education Extension programmes as laid down in section 31.

(4) **Dean of the Faculty** - (i) He shall be the Chairperson of the Faculty and the Board of Studies of the concerned faculty and shall be responsible to the Vice-Chancellor for the organization and implementation of the teaching programme of the faculty.

(ii) The Dean, Faculty of Post-graduate Studies shall co-ordinate post-graduate studies in all Departments, Colleges, and units of the University.

(5) **Registrar** - (i) The Registrar shall be ex-officio non-member Secretary of the Board of Management and ex-officio Member- Secretary of the Academic Council.

(ii) The Registrar shall be responsible for the due custody of records and common seal of the University.

(iii) The Registrar shall be responsible for maintaining permanent records of the Academic Council, performance of the students of the University including the courses taken, credits obtained, degrees, prizes or other distinctions and other items pertaining to the academic performance and the discipline of the students.

(iv) The Registrar shall invite and receive applications for admission into the University.

(v) The Registrar shall be responsible for establishment matter and general administration in the university as prescribed.

(6) **Finance Comptroller** - (i) The Finance Controller shall be responsible for preparation of the budget and the statement of accounts of the University. He shall manage the funds and investments of the University. He shall be responsible for ensuring that the expenditure is made as authorized.

(ii) The Finance Controller shall arrange periodical internal inspections of the accounts maintained in the various units of the University.

(iii) The Finance Controller shall be responsible for the maintenance of the accounts of the University in the form and manner as approved by the Board and keep constant watch on the state of cash and bank balance and on the state of investment.

(iv) The Finance Controller shall see that the register of buildings, farms, furniture / equipments and other items are maintained up-to-date

and that the stock checking is conducted of all items in all offices and units of the University.

(7) **University Librarian** - He shall be responsible for the maintenance and management of the University Library, to guide and co-ordinate the working in the libraries of the various constituent units of the University, to prepare the annual estimate of operational and developmental requirements of all the libraries of the University for incorporation in the budget estimates.

(8) **Student's Welfare Officer** - There will be following functions of the Students Welfare Officer :-

- (i) to make arrangements and supervise management of student's hostel, cafeteria and mess.
- (ii) to plan and organize students extra-curricular activities such as sports, cultural and other recreational activities, national cadet corps and other allied activities of the University.
- (iii) to plan and direct the programme of student advisement and counselling and to enlist the co-operation of prospective employers and employment agencies to assist in the placement of graduates of the University and to promote discipline amongst the students of the University.
- (iv) to supervise and control medical and health services and other welfare measures in the University.
- (v) to make arrangements for scholarships, stipends, part-time employments and travel facilities for the study tour of the students.
- (vi) Where necessary, Students' Welfare Officer shall consult Deans / Directors.

(9) **Law Officer**:- He shall be the Principal legal adviser to the University. All legal matters shall be handled by him and he shall represent the legal interest of University in all matters in various courts.

University it think proper may appoint a panel of lawyers on fixed fees to assist the Law Officer.

(10) **Public Relation Officer** - He shall be responsible for all protocol duties of the University, for its public relations functions, for liaising with other authorities and perform such other functions as the Vice- Chancellor may assign to him from time-to- time.

(11) Subject to the provisions of this Act, the Officers of the University referred to in clauses (iii) to (xi) of section 22 shall perform such other duties as may be prescribed or as may be assigned to them, from time to time, by the Board or the Vice-Chancellor.

Chapter-V

RESIDENT INSTRUCTION, RESEARCH AND EXTENSION EDUCATION

28. Resident Instruction - (1) Subject to provisions of this Act and the Statutes, Resident Instruction in the University shall include Bachelor's, Master's and Doctoral degree programmes and short-term diploma / certificate courses in the disciplines of Veterinary Science and Animal Husbandry, Dairy Technology, Fisheries, and other allied sciences which may be prescribed.

(2) Resident Instruction programmes shall be based on modern system of Education with the objective of producing competent and practical oriented graduates and post-graduates to handle production, management, research, education extension and

teaching work in the field of Veterinary Science, Animal Husbandry, Dairy Technology, Fisheries and allied sciences.

(3) The existing colleges and teaching units along with the facilities and the budgets in the field of Veterinary Science, Animal Husbandry, Dairy Technology and Fisheries etc. in the Bihar Agricultural University / Rajendra Agricultural University shall be transferred to the University with effect from such date as the Government may notify.

29. Research - (1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, research programme in the University shall carry on research (fundamental as well as applied) on the problems of Veterinary Science, Animal Husbandry, Dairy Technology, Fisheries and other allied sciences for the purpose of aiding the development of these branches for the benefit of rural population in the State.

(2) The University through its research organization shall be the principal agency of control over research activities in Veterinary Science, Animal Husbandry, Dairy Technology, Fisheries and other allied branches in the State.

(3) The existing research organization (As per schedule-i) and experimental station and farms along with the facilities and budget in the field of Veterinary Science, Animal Husbandry, Dairy Technology, Fisheries and allied branches in the Government Departments shall be transferred to the University with effect from such date as the Government may notify.

(4) The University may establish Regional / Zonal Research Stations and Sub-stations in the different agro-climatic zones of the State for the conduct of research.

30. Education Extension - (1) Education Extension programme shall be initiated in the University and shall be, subject to the provisions of this Act and the Statutes, made useful information based upon findings of research available to farmers and others to help and solve their problems. It shall conduct demonstrations and training programmes for the benefit of students, extension workers, farmers and entrepreneurs. Extension Education shall be co-ordinated with the other functions of the University and other appropriate agencies of the State.

(2) The University shall be responsible for the Veterinary, Animal Husbandry, Dairy, and Fisheries and allied branches Extension Education activities in the State as in subsection (1) above. In order that the University may conduct such activities, the State may transfer to the University the necessary personnel, facilities and funds in accordance with a plan to be developed as mutually agreed upon by the Board and the Government.

31. Co-ordination of teaching, research and education extension, integration of functions, curricula and services - (1) In consultation with the competent officers of the University, the Vice-Chancellor shall be responsible for taking such steps as may be necessary for the full co-ordination of teaching, research and extension activities of the University.

(2) The Vice-Chancellor shall be responsible, working through the appropriate officers of the University, for seeing that conditions are established whereby there is feasible progress in the development of new information and technology in the natural, physical and social sciences related to Veterinary & Animal Sciences and its transfer to the teaching curricula and other educational programme leading to their understanding and adoption where applicable in practice throughout the State.

(3) The Vice-Chancellor shall be responsible and working through the appropriate officers and staff of the University to see that there is an appropriate inter-relation in the different curricula and courses offered in the different faculties of the University so as to

avoid unnecessary duplication of functions between faculties of the University and provide the students with the best course offerings and faculty contacts feasible within the University's resources and talents.

(4) The University shall develop its programme of research and education extension keeping in view the needs of the State and provide the appropriate technical support and advice to the Government departments engaged in the development work in Veterinary Science, Animal Husbandry, Dairy, Fisheries and other allied branches.

Chapter-VI

FUNDS AND ACCOUNTS

32. The University Funds - (1) The University shall have a General Fund to which the following shall be credited :-

- (i) its income from fees, donations, endowments, gifts, benefactions, grants, loans and borrowing and income received from properties of the University.
- (ii) income from the property of the University such as hostels, research centers, farms etc.
- (iii) contribution and grants made by the State and Central Government on such conditions as are consistent with the provision of this Act
- (iv) Other contributions, grants, donations benefactions and loans and other receipts.
- (v) University may create other funds as provided for in the Statutes.
- (vi) The Government may provide additional support and grant to the University for learning and research.

(2) The University shall furnish statements of accounts, reports and other particulars to the Government relating to any grant made by the Government and shall take such action and furnish such statements, accounts, reports and other particulars relating to the utilization of any grant within such time and manner as the Government may direct.

(3) University shall be competent in furtherance of its objectives to accept the grants from the Government or any other State Government or the Central Government or Statutory Bodies or endowments or donations under such conditions as may be agreed upon between the University and the granter or donor.

33. Management of Funds - The General Fund, Foundation Fund and other funds of the University shall be managed according to the provisions laid down by the Statutes.

34. Accounts and Audit - (1) The Annual Statement of accounts of the University shall be prepared by the Comptroller and audited and certified by an authority to be nominated or authorized by the Government. The Statement shall include all the money accruing to or received as sponsored or benefits by the University from whatever source and all amount disbursed and paid by the University. Such statement shall be submitted to the Government by the Board normally within six months after close of the financial year to which these pertain.

35. Provident Fund, Pension and Insurance - (1) The University shall constitute for the benefit of its officers, teachers, ministerial staff and other employees, in such manner and subject to such conditions as may be prescribed, such pension, gratuity, insurance, provident fund as it may deem fit provided it does not violate prevailing govt. policy.

(2) For such pension, gratuity, insurance and provident fund so constituted by the University, the government may declare that the provisions of the Provident Funds Act shall apply to such fund as if it were Government provident fund:

Provided that the University shall have power in consultation with the Finance Committee and the Board to invest provident fund amount in such manner as it may determine.

36. Government Grants :-The Government shall every year make the following lump sum grants to the University, namely :-

- (i) A grant not less than the net expenditure incurred in the State of Bihar on such of the activities of the Institutions of Veterinary Science, Animal Husbandry, Dairy, Fisheries and other Government agencies / institutions as are transferred to the University;
- (ii) A grant not less than the estimated net expenditure of pay and allowances of the staff, contingencies, supplies and services of the University other than in respect of the activities in various organizations, referred to above in clause (i)
- (iii) A grant to meet such additional items of expenditure recurring and non-recurring as may be deemed necessary by the Government for the proper functioning of the University
- (iv) The State Government may also make non-lapsable lumpsum grant to the University in respect of schemes included in the Five year Plan and transferred to it for implementation by the University of an amount equal to the net outlay in the annual plan. Adjustments of from the anticipated assistance from the Central Government and other agencies sponsoring such schemes may be made in it.
- (v) The state government may pay the full cost of the constructions and furnishing of the building of the University.

37. Finance Committee - (1) The Board shall constitute a Finance Committee consisting of :-

- (i) The Vice-Chancellor (Ex-officio Chairperson)
 - (ii) A Officer, nominated by the Department of Finance, Government of Bihar, Nominated by him -Member
 - (iii) A Officer, nominated by the Department of Animal Husbandry & Fisheries Resource, Government of Bihar -Member.
 - (iv) Director Research, Director Education Extension, Director Resident Instruction - Member.
 - (v) One nominee of the Board who should be the non-official member of the Board - Member.
 - (vi) Financial Controller Ex-officio Member - Secretary.
- (2) The following will be the functions of the Finance Committee :-
- (i) To examine the annual accounts and budget estimates of the University and to advise the Board thereon
 - (ii) To review the financial position of the University from time to time
 - (iii) To make recommendations to the Board on all matters relating to the finances of the University.
 - (iv) To get the accounts of the University, its colleges and other centers/ institutions audited.

Chapter-VII

STATUTES AND REGULATIONS

38. Statutes - Subject to the provisions of this Act, provisions may be made by the Statutes of the University for any matter whatsoever connected with the affairs of the University particularly for the following matters :-

- (i) constitution, powers and duties of the Authorities and other bodies of the University, as may be constituted from time to time;
- (ii) constitution, composition and functions of other bodies or committees, necessary or desirable for improving the academic life of the University;
- (iii) designations, powers, functions, duties, manner of appointment and selections, and terms and conditions of service of the officers of the University and Colleges/institutions other than Chancellor and Vice-Chancellor;
- (iv) classification, qualification and manner of appointment, terms and conditions of services and duties of teachers and non-teaching staff of the University;
- (v) terms and conditions of service of the Vice-Chancellor;
- (vi) establishment, amalgamation, sub-division or abolition of faculties, Departments/Research Stations/Centres or other units of the University;
- (vii) establishment of pension and insurance schemes for the benefit of officers, teachers and other employees of the University and the rules, terms and conditions of such schemes;
- (viii) holding of convocations to confer degrees and diplomas;
- (ix) conferment and withdrawal of honorary degrees and academic distinctions;
- (x) creation of post, conditions of service, remunerations and allowance including travelling and daily allowances to be paid to officers, teachers and other persons employed under the University;
- (xi) conditions and manner of appointment and the duties of examining bodies and examiners;
- (xii) management of Colleges / Centers / Departments / Regional Stations/other institutions founded or maintained by the University;
- (xiii) constitution of Selection Committee for appointment of teachers and other staff;
- (xiv) institution of fellowships, scholarships, studentships, medals, prizes and other incentives;
- (xv) all other matters for which Provision may be made by this Act or by the Statutes;

39. Statutes how made - (1) The first Statute shall be made by the Government on the recommendation of the Board.

(2) The Board may, from time to time, make new or additional Statutes or repeal the Statutes referred to in sub-section (1).

Provided that the Board shall not make, amend or repeal any Statute affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has

been given an opportunity of expressing its opinion in writing on the proposed change, and any opinion so expressed shall be considered by the Board.

(3) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal thereof shall require the assent of the Chancellor.

(4) A new Statute or Statute amending and repealing an existing Statute shall have no validity unless it has been assented by the Chancellor:

Provided that if the Chancellor does not convey his decision/ assent within Ninety days of the reference received by him the Chancellor shall be deemed to have given his assent to the Statute, to an amendment proposal or proposal for repeal of a Statute.

(5) All Statutes made under this Act shall be published in the official gazette.

40. Powers to make Ordinances :-If the state government considers that an emergent situation has arisen which cannot be tackled under the Act or statutes or regulations, The state government may promulgate an ordinance with approval of the Governor.

41. Regulations

(1) The authorities of the University may make Regulations consistent with this Act and the Statutes in the manner prescribed by the Statutes for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them for which provisions are made in this Act and the Statutes.

(2) All Regulations made by an authority shall come into force after approval of the Board.

Chapter-VIII

MISCELLANEOUS

42. Residence of students - The students shall reside in the accommodation maintained by the University or approved by the Vice-Chancellor subject to the conditions as may be prescribed. However, the Vice-Chancellor or an authorized officer of the University may permit the student(s) to reside with their parents or in private accommodations when no accommodation is available with the University.

43. Annual Report - The annual report of the University shall be prepared by the Registrar (or any other officer, if assigned) under the direction of the Vice-Chancellor normally within six months from the close of the Financial Year and intimated to the members of the Board one month before the meeting at which it is to be considered. The Board shall after consideration of the annual report forward a copy thereof to the Government.

44. Delegation of Powers - (1) The Board may, by statutes, delegate the powers to be exercised by it under this Act or the Statutes made there under, to any authority, Vice-Chancellor of the University subject to such conditions and restriction as the Board may deem proper.

(2) The Vice-Chancellor may, by Statutes, delegate the powers exercisable under this act or the statutes made thereunder to any officer, Heads of colleges, Departments / Centers/ Units subject to such conditions and restrictions as he may deem proper.

45. Constitution of ad hoc committees - Notwithstanding anything in this Act and until such times as the authorities are duly constituted, the Vice-Chancellor may subject to the prior approval of the Board, after the constitution of the Board, appoint committees temporarily to exercise, perform and discharge any of the powers, functions and duties of such authority under this Act.

46. Disputes as to constitution of Authorities or Bodies - If any question arises as to whether any person has been duly appointed or is entitled to be a member of any authority or other body of the University, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision thereon shall be final :

Provided that before taking any such decision, the Chancellor shall give the person affected thereby reasonable opportunity of being heard

47. Legal Proceeding - All suits and other legal proceedings by or against the University shall be instituted, prosecuted or defended on behalf of the University by the Registrar or any other officer specifically nominated in this behalf by the Vice-Chancellor

48. Appointment to posts in connection with the affairs of the University -

(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes made thereunder appointment to duly created posts and service in connections with the affairs of the University may be made by the Vice-Chancellor with the approval of the Board:

Provided that such approval of Board shall not be necessary in respect of appointment of posts carrying scales of pay lower than the pay scale of an Assistant Professor.

(2) Notwithstanding anything contained in this Act and until such time as the Statutes are made or the authorities of the University are constituted appointments to posts and services in connection with the affairs of the University may be made by the Vice-Chancellor on such terms and conditions as may be approved by the Government.

49. Extraordinary Powers of the first Vice-Chancellor - The first Vice-Chancellor shall for a period of one year or until such time as the Board is constituted whichever is earlier, exercise all or any of the powers conferred on the Board by this Act or the Statutes.

50. Transitional Provisions - (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, or in other University Act in the State (Bihar Agricultural University Act 2010 and Rajendra Agricultural University Act, 1971) or in the Statutes or regulations made under any of these enactments any student who immediately before the commencement of this Act was studying in a college which has been or may hereafter be admitted to the privileges of the University for degree, diploma or certificate of the Bihar Agricultural University/ Rajendra Agricultural University in accordance with the regulations of the University, be permitted :-

- (i) to complete his course in accordance with the curriculum of studies of Bihar Agricultural University / Rajendra Agricultural University;
- (ii) to be examined by the University and if on the results of such examination he qualifies, be entitled to be conferred a corresponding degree or diploma or certificate of the University; and
- (iii) to appear at the examination within two years of the normal period required for completing the said course of studies.

(2) In the year of the establishment of the University, University examinations of all courses in different faculties and disciplines shall be conducted by Bihar Agricultural University / Rajendra Agricultural University and in subsequent years the examination shall be conducted by the University.

(3) Notwithstanding anything contained in Bihar Agricultural University Act / Rajendra Agricultural University, or in Statutes or Regulations made there under, Bihar Veterinary College, Patna, Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology, Patna and College of Fisheries will be located in the building of Dr. Kalam Krishi Mahavidyalay, Kishanganj shall after the commencement of this Act, be dis-affiliated from Bihar Agricultural

University, and Rajendra Agricultural University, in the state and shall be maintained by this University as constituent Colleges.

(4) Bihar Veterinary College, Patna and Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology, of Bihar Agricultural University, Sabour; College of Fisheries Kishanganj and Institute of Animal Health & Production Patna play ground, hostels, residential quarters, farm land, farm buildings attached to these units shall be transferred and vested in the University after the publication of notification of the commencement of this Act, but the University can not sell or rent out /lease out any portion of this land . The ownership of the land will remain with the Government.

(5) Government Goat Breeding Farm, Purnea, Govt. Buffalo Farm, Sipaya (Gopalganj), with all movable assets shall be transferred to the University for education, training, research and extension training purposes but land ownership will remain with the Government.

(6) All employees of the Research Institutes and other offices and institutions of Government Departments whose services along with the unit have been transferred to the University shall be deemed to be employees of the university. Such transferred employees shall be governed in accordance with the terms and conditions as determined by the Board in consultation with the Government. Keeping in view that their regular service condition may not be adversely affected.

(7) The University shall begin its operations in a suitable building available in the campus of Bihar Veterinary College, Patna.

(8) The persons appointed in Bihar Veterinary College, Patna and Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology, Patna, under the Bihar Agricultural University shall be stand transferred along with the budget to the University.

51. Division of assets and liabilities - Liabilities of the existing Universities relating to Veterinary Science, Animal Husbandry, Livestock, Poultry, Dairy, Fisheries etc.-

Any asset of existing Universities, immediately before the commencement of this Act, related to Veterinary Science, Animal Sciences, Dairy, Fisheries, including the agricultural land used for fodder production, feed production shall stand transferred to and vested in the University.

Explanation - For the purposes of this section, "asset" shall be deemed to include all property movable and immovable, rights, powers, authorities and privileges, and all other rights and interests arising out of such property, as were immediately before the commencement of this Act, namely ownership, possession, power or control of existing University / Govt. department and all books of accounts, registers, records.

52. Power to make Rules .-The state Governments may make Rules for giving effect to the provisions of this Act, which is consistent with the provisions of this Act.

(2) Every Rule made under this section shall after its publication in the Official Gazette, as soon as possible be laid before both Houses of the State Legislature.

53. Repeal and Saving - (1) The Bihar Agricultural University Act, 1987 {Bihar Act 8, 1988} and The Bihar Agricultural University Act, 2010 {Bihar Act 12, 2010} are deemed to be modified in terms of this Act for the subjects of Veterinary science, Animal Husbandry, Dairy technology, Fisheries as also in respect of institutions enumerated in Schedule-1.

(2) Notwithstanding such modification, anything done or any action taken in exercise of the powers conferred by or under the said Act and so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, shall be deemed to have been done or taken in

the exercise of powers conferred by or under this Act, as if this Act were in force on the day on which such thing was done or action taken.

SCHEDULE-1

- I. Educational Institutes –
 1. Bihar Veterinary College, Patna
 2. Sanjay Gandhi Institute of Dairy Technology, Patna
 3. College of fisheries will be located in the building of Dr Kalam Krishi Mahavidyalay, Kishanganj
- II. Reserch Institutes /Stations/ Sub Stations–
 1. Institute of Animal Health and Production, Patna
 2. Exotic Cattle Breeding Farm, Patna
 3. Central Poultry Farm, Patna
 4. Government Goat Breeding Farm, Purnia
 5. Government Cattle Farm, Gaya
 6. Government Buffalo Farm, Sipaya (Gopalganj).

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 699-571+400-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>